उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	34
दिनाँक	:	28 अगस्त, 2014
समय	:	प्रातः 9:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 28 अगस्त, 2014 को प्रातः 9.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. डॉ. पृथ्वीश नाग — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. प्रो. के.के. भूटानी, — सदस्य
   निदेशक, UPTECH,
   तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स,
   इलाहाबाद (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)
3. श्री जी.एन. साहा, — सदस्य
   Ex. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata,
   23, टीचर्स हाउसिंग इस्टेट बाघाजतीन पार्क, पो.आ.– पंचशायर, कोलकाता -7000943.
4. प्रो. बी.एन. सिंह, — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
   इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. एस.पी. गुप्ता, — सदस्य
   निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. डॉ. एम.एन. सिंह, — सदस्य
   निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7. डॉ. ओम जी गुप्ता, — सदस्य
   निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
8. डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, — सदस्य
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. जी.के. द्विवेदी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	डॉ. ए.के. सिंह कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01. डॉ. वाई.वी.एन. कृष्ण मिर्थी,
निदेशक, भारतीय रिमोट सेन्सिंग संस्थान,
4, कालीदास रोड, देहरादून–248001

02. प्रो. ए.पी. वार्ष्णेय,
कुलपति, पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्यों श्री जी.एन. साहा, Ex. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata, 23, टीचर्स हाउसिंग इस्टेट बाघाज़तीन पार्क, पो.आ.– पंचशायर, कोलकाता -700094 एवं प्रो. बी.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् के अन्य सम्मानित सदस्यों से परिचय कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 02-05-2013 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक **01** पृष्ठ संख्या 40-63 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 02–05–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.02

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 02–05–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
31.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
31.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
31.03	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
31.04	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा

	नवम्बर, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।		चुकी है।
31.05	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित त्रिवर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Notification/ 40.5.1.4/2012 दिनाँक 01-11-2012 के अनुसरण में 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के रूप में संचालन करने पर विचार।	विद्या परिषद् ने त्रिवर्षीय एम. बी. ए. कार्यक्रम के स्थान पर जुलाई 2013–14 सत्र से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा की अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड के बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	(i) दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। (ii) सत्र जुलाई 2013–14 से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
31.06	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14–5/2007(CPP) दिनाँक 27 नवम्बर, 2012 पर विचार।	विद्या परिषद् ने प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड की दिनाँक 10–01–2013 की बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में आगामी सत्र जुलाई, 2014 से लागू किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सत्र जुलाई 2014–15 की सूचना विवरणिका में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में प्रारम्भ करने हेतु समाहित कर लिया गया है।
31.07	एक साथ दो या उससे अधिक कार्यक्रमों के प्रवेश नीति के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/ Notification/40.5.1.5/2012/ 15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 पर विचार।	दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/Notification/ 40.5.1.5/2012/ 15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 द्वारा निर्गत अधिसूचना को विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
31.08	आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों को	विद्या परिषद् ने आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों	दिनाँक 15–12–2013 को

	प्रारम्भ करने पर विचार।	के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा की गयी संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने अनुमति प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति प्राप्त होने पर नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जायेगा।
31.09	**दिनाँक 17 अप्रैल, 2013 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
(i)	परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार।	परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि किसी केन्द्र के खिलाफ यदि कोई आरोप है तो जाँच के परिणाम आने तक उस अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। साथ ही यह भी संस्तुति की गयी कि आरोपित/काली सूची के अध्ययन/परीक्षा केन्द्रों को पुनः परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।
(ii)	जून – 2013 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार।	परीक्षा समिति ने माननीय कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने हेतु समिति का गठन किये जाने की संस्तुति की जो गठन के एक सप्ताह के अन्दर परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण कर अन्तिम सूची तैयार करेगी। परीक्षा जून – 2013 व दिसम्बर – 2013 के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची तैयार कर परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		लिया।	
(iii)	पूर्व की परीक्षाओं में निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों से अवगत होना।	परीक्षा जून – 2012 व दिसम्बर – 2012 के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। विद्या परिषद् प्रश्नगत बिन्दु से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(iv)	जून 2013 की परीक्षा समय सारणी पर विचार।	परीक्षा समिति ने अवगत कराया गया कि जून – 2013 परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 22.03.2013 को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया गया था जिसके सापेक्ष संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुये। सुझाव के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन कर अन्तिम रूप दिया गया। माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को मा0 कुलाधिपति कार्यालय को उनके निर्देशानुसार प्रेषित किया जा चुका है। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
(v)	दिसम्बर 2011 व जून 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग मामलों के निस्तारण हेतु गठित समिति एवं संवीक्षा समिति के प्रतिवेदन से अवगत होना।	दिसम्बर – 2011 व जून – 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग के मामलों व संवीक्षा हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन से परीक्षा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मामलों का निस्तारण किया गया एवं शिक्षार्थियों को सूचित किया गया। परीक्षा समिति द्वारा बी.एल. आई. एस. कार्यक्रम के प्रकरण पर चर्चा की गयी, जिसमें अंक परिवर्तित थे एवं टिप्पणी की गयी कि ऐसे परीक्षक को पहचान कर उन्हें परीक्षा कार्य से दूर रखा जाय। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
(vi)	परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के पारिश्रामिक (जो राज्य विश्वविद्यालयों के लिए जारी	परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के परिश्रमिक के पुनरीक्षण पर विचार के हेतु एक समिति के गठन किये जाने की संस्तुति की गयी	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

	शासनादेश में आच्छादित नहीं है) के पुनरीक्षण पर विचार।	जो अपने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव तैयार करें एवं परीक्षा सम्बन्धित दरें पुनरीक्षित करें। जो दरें लागू न हो उसे निकाल दिया जाय एवं इस सन्दर्भ में प्रस्ताव वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। जिस पर क्रियान्वयन होना प्रक्रियाधीन है।
(vii)	अंक पत्र संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने अंकपत्र संशोधन हेतु एक वर्ष का समय निर्धारित किये जाने की संस्तुति के साथ अंकपत्र व प्रवेश पत्र में शिक्षार्थी के नाम हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उल्लेख करने का निर्णय लिया। परीक्षा समिति ने यह भी संस्तुति की कि यदि शिक्षार्थी प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर प्रवेश सम्बन्धी Basic Data में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन नही कराता है तो उसे संशोधन के लिये प्रार्थना पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। Basic Data में 01 वर्ष के पश्चात संशोधन कराये जाने हेतु रु. 400/– शुल्क निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख सत्र 2014–15 के प्रवेश विवरणिका में किया जा चुका है।
(viii)	BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा के प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति के समक्ष BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। चर्चा के पश्चात आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उत्तर पुस्तिका न भेजने के सन्दर्भ में परीक्षा केन्द्र रामलगन पी. जी. कालेज, मऊ, एस–187 को कारण बताओ नोटिस भेजा जाय एवं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुये अध्ययन केन्द्र व परीक्षा केन्द्र को स्थगित कर दिया जाय। छात्रा द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंको के आधार पर छात्रा को सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सुश्री उदिता शंकर ओझा का अंक पत्र निर्गत किया जा चुका है। अध्ययन केन्द्र **एस–187 रामलगन पी. जी. कालेज, जमालपुर, मिर्जापुर, घोसी, मऊ** को परीक्षा नियंत्रक ने अपने पत्राँक ओ. यू./परीक्षा/6877/2013 दिनाँक 10–09–2013 द्वारा

		को यथावत स्वीकार किया।	भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के निर्णय से सम्बन्धित केन्द्र के समन्वयक/प्राचार्य को अवगत करा दिया है। जबकि अध्ययन केन्द्र के Debar किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। केन्द्र द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 68496/2013 योजित की गयी है जो मा. उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों के साथ नई याचिका योजित करने के निर्णय के साथ खारिज कर दिया गया। पुनः अध्ययन केन्द्र द्वारा नयी याचिका संख्या 26153/2014 योजित किया गया है जो अद्यतन विचाराधीन है।
(ix)	उपभोक्ता फोरम में योजित वाद सुश्री विरक्ति राय के प्रकरण एवं निस्तारण आदेश से अवगत होना।	उपभोक्ता फोरम में सुश्री विरक्ति राय द्वारा योजित वाद के प्रकरण में पारित आदेश से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। परीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसको ध्यान में रखा जाय। परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सुश्री विरक्ति राय को सूचना प्रेषित की जाय कि उनके द्वारा दी गयी एम.ए. की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की जा रही है। अतः इस क्रम में उनके एम. ए. का अंकपत्र व उपाधि भी निरस्त की जाती है। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सुश्री विरक्ति राय को उनके एम.ए. की परीक्षा के साथ निर्गत एम. ए. के अंक पत्र एवं उपाधि निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /1009/2013 दिनाँक 07–09–2013 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। सुश्री विरक्ति राय द्वारा इस पत्र के विरुद्ध माननीय उपभोक्ता फोरम,

			गोरखपुर में इजरा संख्या 76/2013 योजित किया गया, जो अद्यतन विचाराधीन है।
(x)	MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के प्रकरण पर विचार।	MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के MAEN-07 प्रश्न पत्र की जून – 2012 परीक्षा की उत्तर पुस्तिका उनके परीक्षा केन्द्र ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद, एस– 51 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा पत्राचार के उपरान्त कोई उत्तर नहीं दिया गया। परीक्षा समिति ने छात्रा द्वारा परीक्षा सत्र जून – 2012 में MAEN-07 के साथ दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंको के आधार पर सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान करते हुए मामले को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की। साथ ही अध्ययन केन्द्र को कारण बताओ नोटिस देते हुये परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की भी संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
31.10	**दिनाँक 29 अप्रैल, 2013 को आहूत मान्यता बोर्ड की 16वीं Adjourned बैठक, जो दिनाँक 02 मई, 2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
(i)	सत्र 2013–14 में नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/ आवेदन पत्रों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत असेवित तथा अल्पसेवित जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों/आवदेन पत्रों पर गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सहमति व्यक्त की तथा स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत शेष स्थापित होने वाले नये अध्ययन केन्द्रों से निम्नानुसार सूचना/आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी*	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		-- *(क) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से जिला मुख्यालय की दूरी। (ख) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का पूर्व से संचालित निकटतम अध्ययन केन्द्र का नाम तथा उसकी दूरी। वांछित सूचना 20 मई, 2013 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	
(ii)	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित स्क्रीनिंग समिति से प्राप्त अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
(iii)	सत्र 2013–14 में प्रस्तावित नये अध्ययन केन्द्र/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र पर BLIS कार्यक्रम देने पर पुनः विचार।	*मान्यता बोर्ड ने उ0प्र0 शासन द्वारा महाविद्यालयों की मान्यता देते समय ही अनिवार्य रुप से पुस्तकालय के स्थापित होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रस्तावित महाविद्यालयों में नये अध्ययन केन्द्रों/पूर्व से संचालित अध्ययन कन्द्रों पर बिना*	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन ऐसे नये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों

		स्थलीय निरीक्षण के BLIS कार्यक्रम संस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विद्या परिषद् ने अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में BLIS कार्यक्रम अनुमन्य किये जाने हेतु मानक के अनुसार निरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया।	में बी.एल.आई.एस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति निरीक्षण न हो पाने के कारण नहीं दी गयी है।
31.11	राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–5114/जी0एस0 दिनांक 06–07–2012 पर विचार।	विद्या परिषद् ने प्रश्नगत प्रकरण के सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया कि जनहित/छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बन्द किये गये सभी कार्यक्रमों को पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति जी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को पुनः संचालित किया जाय।	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/2007/2014 दिनाँक 19–02–2014 द्वारा राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अग्रतर आदेश अप्राप्त है।
31.12	विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	विभिन्न कार्यक्रमों के अनुमोदित पाठ्यक्रमों (Syllabi) के अनुसार संस्तुत सम्बन्धित लेखकों/विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्मित करायी जा रही है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.03

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 07-02-2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक **02 पृष्ठ संख्या** 65-69 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 07–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.04

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 07–02–2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
32.01	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 07–02–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में उपस्थित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दी गयी। शेष विद्यार्थियों को उपाधि उनके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

32.02	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 07–02–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिया जा चुका है।
32.03	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.05

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 03 मई, 2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या** 69–75 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.06

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
33.01	दिनाँक 03 मई, 2014 को परीक्षा समिति की सम्पन्न आपातकालीन बैठक में की गई संस्तुतियों पर विचार		
01.	सत्र 2009 – 10 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 22005/2014 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observation के आलोक में प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नवत संस्तुतियाँ की – I. कुमारी प्रिया मिश्रा के प्रकरण में छात्रा के हित व व्यतीत समय एवं योजित याचिका के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थिति में प्रवेश सूचना विवरणिका में वर्णित प्रतिबन्धित विषय विकल्पों में छूटे प्रदान करते हुए उनके द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंकपत्र श्रेणी सहित निर्गत किया जाय।	(i) मा. कुलपति जी के आदेश से कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंक पत्र श्रेणी सहित दिनाँक 05–05–2014 को निर्गत करते हुए उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनाँक 08–05–2014 को सम्बन्धित याचिका खारिज किया

		II. प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के किसी अन्य प्रकरण के संज्ञान में आने पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर मा. कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जाय। III. प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश रोकते हुये, नामांकन संख्या व परिचय पत्र न आवंटित किये जाय। IV. परीक्षा अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश पत्र न जारी किया जाय। यदि शिक्षार्थी प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के साथ परीक्षा दे देता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाये.। V. अंकपत्र के प्रारूप संशोधन हेतु मा. कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	जा चुका है। शेष अन्य बिन्दुओं पर क्रियान्वयन अवशेष है।
02.	अध्ययन केन्द्र S-004: श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने के कारण रोके गये परीक्षाफल पर विचार।	परीक्षा समिति ने विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया – जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष जिन शिक्षार्थियों के अधिन्यास के कारण अंकपत्र अपूर्ण हैं उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित लिखित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में जमा करने के लिये सूचित किया जाय तथा उसका मूल्यांकन करा कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये। यह सूचना अध्ययन केन्द्र के	निर्णयानुसार मा. कुलपति जी के आदेश से विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/261/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को एवं प्राचार्य, श्री मुरली मनोहर टाउन पी.जी. कालेज, बलिया को पत्राँक ओ. यू/311/2014 दिनाँक 05–06–2014 द्वारा क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

		प्राचार्य/समन्वयक को भी प्रेषित किया जाय। अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये अध्ययन केन्द्र पर रु. 03 लाख का जुर्माना भी लगाया जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	
03.	अध्ययन केन्द्र S-703 : डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनजमेन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र पर विचार।	सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं इसलिये मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा किया जाय तथा परीक्षा समिति के पुराने निर्णय को यथावत रखा जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/259/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित कि. जा चुका है जिसके अनुसार के द्वारा योजित याचिका के परिप्रे में मा. उच्च न्यायालय के निर्ण तक सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाना है।
04.	अध्ययन केन्द्र राजा कान्ह पी.जी. कालेज, जगेसरगंज, सुल्तानपुर के शिक्षार्थी श्री ओम प्रकाश तिवारी 1498, नवीनपुर शाहगंज (श्यामानगर) सुल्तानपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से योजित याचिका संख्या 37079/2012 में पारित आदेश दिनाँक 31.07.2012 के अनुसरण में कृत कार्यवाही से अवगत होना।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र के उत्तर आने तक प्रकरण पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश त्रिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा अनुस्मारक भेजा जाय एवं उन्हे दो माह का समय दिया जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन मा0	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/257/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्बन्धितों को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। श्री अमर बहादुर सिंह एवं श्री ओम प्रकाश तिवारी का उत्तर प्राप्त हो चुका है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन

		कुलपति जी द्वारा निर्गत आदेश/निर्णय के आलोक में कार्यवाही किया जाय।	है।
33.02	अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि अधिन्यास प्रश्न पत्र व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा करके विभिन्न विद्याशाखाओं के निदेशकों की एक समिति गठित कर उनसे तत्काल प्रस्ताव प्राप्त कर माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाय। विद्या परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 के लिए एक–एक अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाने के लिए सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिन्यास निर्माता का नाम निर्धारित करने एवं निर्मित कराने के लिए अधिकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम निर्धारित करने एवं मूल्यांकन कराये जाने हेतु भी सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिकृत किया जाय।	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/258/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्य परिषद् की दिनाँक 15–12–2013 की बैठक में प्रकरण वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद् के निर्णयानुसार सत्र 2014–15 से अधिन्यास प्रश्न पत्र के एक–एक सेट का निर्माण कराया जा रहा है।
33.03	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के प्रतिबन्ध पर सरलीकरण किए जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने वैकल्पिक विषयों के चयन में प्रतिबन्ध के सरलीकरण किये जाने हेतु डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को एक प्रस्ताव बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया।	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/259/2014 दिनाँक 21–05–2014 को डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है लेकिन उनके स्तर से कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.07

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 की बैठक की कार्यवृत्त (संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या 76-77) की संक्षिप्त संस्तुतियाँ निम्नवत है :–

1. बी.ए.(सामान्य), बी.ए.(मेजर) तथा बी.ए.(रोजगारपरक) के तीन भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विगत सत्रों में बी.ए.(मेजर) व बी.ए.(रोजगारपरक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन तीनों के स्थान पर केवल बी.ए.(सामान्य) कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी.ए. के नाम से ही सम्बोधित किया जाये।

2. बी.एससी. (सामान्य), बी.एससी. (मेजर) तथा बी. एससी. (रोजगारपरक) के तीन भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विगत सत्रों में बी.एससी. (मेजर) तथा बी.एससी. (रोज़गारपरक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन तीनों के स्थान पर केवल बी.एससी. (सामान्य) कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी. एससी. के नाम से ही सम्बोधित किया जाये।

3. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी.ए. के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान कला स्नातक (सामान्य), कला स्नातक (मेजर) अथवा कला स्नातक (रोजगारपरक) एवं क्रमशः Bachelor of Arts (General), Bachelor of Arts (Major) Or Bachelor of Arts (Job Oriented) आवश्यकतानुसार लिखा जाये।

4. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी.एससी. के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान विज्ञान स्नातक (सामान्य), विज्ञान स्नातक (मेजर) अथवा विज्ञान

स्नातक (रोजगारपरक) एवं क्रमशः Bachelor of Science (General), Bachelor of Science (Major) Or Bachelor of Science (Job Oriented) आवश्यकतानुसार लिखा जाये।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त संस्तुतियों के बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार सत्र 2014–15 की सूचना विवरणिका में उल्लेख किया जा चुका है जो विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। जबकि समिति की संस्तुतियों का बिन्दु 03 एवं 04 विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होते हुए शेष अन्य बिन्दुओं पर कार्यवृत्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.08

सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम के संचालन में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित स्व अध्ययन सामग्री का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से किया जा रहा था लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा नये आधुनिक पाठ्यक्रमों (Syllabi) को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLIS)कार्यक्रम की स्व अध्ययन सामग्री हिन्दी माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित करायी गयी है। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बी.एल.आई.एस. कार्यक्रम का निर्मित स्व अध्ययन सामग्री का उपयोग तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013–2014 से किया जा रहा है।
अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं Computer Science/Information Technology से सम्बन्धित अद्यतन आधुनिक तकनीकी यथा Cloud एवं Drop Box आदि तकनीकी को भी पाठ्य सामग्री में समावेशित किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.09

द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र 2014–15 से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की स्वीकृति के आधार पर संचालित है। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 (संलग्नक–05 पृष्ठ संख्या 79) द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्यादेश तैयार कर मा0 कुलाधिपति जी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है तब तक इन कार्यक्रमों में नया प्रवेश न लिया जाय। अतः सम्बन्धित पत्र में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मा0 कुलपति जी के आदेश से सत्र 2014–15 से द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों का संचालन बन्द कर दिया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र 2014–15 से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय स्तर से अध्यादेश जल्द तैयार कराकर माननीय कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाते हुए आगामी सत्र से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.10

शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक

भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की मान्यता की निरन्तरता शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु कतिपय शर्तों के अधीन प्रदत्त की गयी है। पत्र की प्रति संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या 79-82 पर उपलब्ध है, जो विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत हुई तथा यह भी निर्णय लिया कि सम्बन्धित कार्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से स्थायी मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.11

विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु शिक्षार्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों के कम्प्यूटर प्रविष्टि में अधिक कर्मचारियों व Infrastucture के साथ अधिक समय लगता था तथा प्रविष्टि में त्रुटियां भी होती रहती थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया मा0 कुलपति जी के आदेश से प्रारम्भ की गयी है। इस ओ.एम.आर. फार्म में प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बन्धित सूचनाएं भी शिक्षार्थियों द्वारा मांगी गयी है। जिससे शिक्षार्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कोई फार्म नहीं भरना होगा। शिक्षार्थियों से प्राप्त ओ.एम.आर. फार्म की प्रोसेसिंग का कार्य फर्म के माध्यम से विश्वविद्यालय मुख्यालय स्तर पर ही सम्पन्न करायी जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.12

सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय में कश्मीरी प्रवासियों को प्रवेश में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 3–1/2012–NER दिनाँक 04–06–2014 पर विचार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 3–1/2012–NER दिनाँक 04-06-2014 (संलग्नक–07 पृष्ठ संख्या 83) द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को इस विश्वविद्यालय के सत्र 2014–15 में प्रवेश दिये जाने पर निम्नलिखित छूट दिये जाने की अपेक्षा की है :–

(i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement. 2

(ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.

(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.

(iv) Waiving off domicile requirements.

अतः सम्बन्धित पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 04–06–2014 को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.13

विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा Ph.D. शोध प्रबन्ध की प्रस्तुति के पूर्व आयोजित किये जाने वाले प्री–सबमिशन मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था में सुधार किये जाने पर विचार

शोधार्थियों द्वारा Ph.D. शोध प्रबन्ध की प्रस्तुति के पूर्व आयोजित किये जाने वाले प्री–सबमिशन मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

1. वर्तमान में शोधार्थियों के प्री–सबमीशन मौखिकी परीक्षा के उपरान्त शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अथवा अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है जिससे कभी–कभी असमान्य स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इसके लिए न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 06 माह की अवधि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

2. प्री सबमीशन मौखिक परीक्षा के समय सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक, शोध पर्यवेक्षक एवं विषय विशेषज्ञ के पैनल का उपस्थित रहना होता है। कभी कभी शोध पर्यवेक्षक अपरिहार्य कारणों से तत्समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं जिससे शोधार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य का सही आंकलन नहीं हो पाता है। अतः इसके लिए पैनल के सभी सदस्यों विशेष रूप से शोध पर्यवेक्षक की प्री–सबमीशन मौखिक परीक्षा के समय उपस्थिति अनिवार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

3. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन में गति लाने के दृष्टिगत परीक्षकों के पैनल हेतु नाम के साथ दूरभाष संख्या, E-mail पता प्री–सबमीशन मौखिकी परीक्षा की तिथि तक शोध पर्यवेक्षक एवं निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

Ph.D. उपाधि हेतु शोधार्थियों द्वारा शोध प्रबन्ध जमा किये जाने के पश्चात किसी किसी शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा 02 माह के अन्दर सम्पन्न हो जाती है तथा किसी–किसी शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने में 02 वर्ष लग जाते है। विलम्ब से मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने से शोधार्थियों को क्षति होती है। अतः इस पर विचारोपरान्त नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अतः उपर्युक्त संस्तुतियाँ/प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निम्न निर्णय लिया :–

(i) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के उपरान्त शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करें।

(ii) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के समय शोध पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय, परन्तु अपरिहार्य कारणों से शोध पर्यवेक्षक के उपस्थित न हो पाने पर माननीय कुलपति जी की अनुमति से ही प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा/प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायी जाय।

(iii) शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम के साथ, दूरभाष संख्या, ई–मेल पता व पत्राचार का पूर्ण पता प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा की तिथि तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाय।

(iv) परीक्षकों की मूल्यांकन हेतु प्रेषित शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन प्रतिवेदन शोध प्रबन्ध के प्रेषण की तिथि से 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाय अन्यथा की स्थिति में माननीय कुलपति जी के आदेश से अन्य अग्रतर कार्यवाही की जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.14

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD) कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 (संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 84) के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा द्वारा **Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD)** कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सम्बन्धित विद्या शाखा के शिक्षकों द्वारा दिनाँक 09–10–2013 को बैठक आहूत की गयी जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र में वर्णित कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहमति व्यक्त करते हुए इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु पूर्ण विवरण के साथ संस्तुतियों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव/संस्तुतियां शिक्षा विद्या शाखा के बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इसका अध्यादेश (Ordinance) प्रस्तुत किया गया है।

अतः शिक्षा विद्या शाखा द्वारा उक्त कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध मे तैयार प्रस्ताव एवं संस्तुतियाँ (संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या 85-91) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा द्वारा Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability

(FCELD) कार्यक्रम संचालित किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अन्य प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए इन कार्यक्रमों में प्रवेश जुलाई एवं जनवरी सत्रों में कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.15

विश्वविद्यालय में "गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार

समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत एक वर्षीय 'Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies' गांधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड की दिनाँक 11-07-2013 के बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विद्या शाखा के बोर्ड की बैठक की कार्यवृत्त **संलग्नक 10 पृष्ठ संख्या** 92 पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व इसके अध्यादेश तथा स्व–अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ.दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अतः समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड की बैठक की कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने "गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.16

दिनाँक 26 नवम्बर, 2013 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

01. परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर कम से कम छात्र संख्या 60 हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिए कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।

पूर्व में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु तय मानको पर पुनः विचार **(संलग्नक 11 पृष्ठ संख्या** 93 **)**

परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 16.03 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार, बिन्दु में "मानक" शब्द हटाकर "दिशा निर्देश" अंकित करने की संस्तुति दी गयी एवं अतिरिक्त विषय जोड़ने व नया बिन्दु अंकित करने की संस्तुति की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:

<u>परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश</u>

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।

7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।

8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया :–

(i) **बिन्दु संख्या 05 में वर्णित 01 से 04 के स्थान पर 01 से 06 को ध्यान में रखते हुए समिति अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।**

(ii) **बिन्दु संख्या 05 एवं 07 के क्रमाकों को आपस में परिवर्तित किये जायें।**

02. <u>प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150 का ड्राफ्ट/नकद जमा करा कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। (संलग्नक 12 पृष्ठ संख्या 94)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150/– से बढाकर 300/– कर दिया जाय एवं प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोफार्मा में संशोधन करा दिया जाय व शुल्क ड्राफ्ट/नकद जमा करने का भी उल्लेख कर दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

03. <u>प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात शिक्षार्थी द्वारा अंक पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन शुल्क निर्धारण पर विचार</u>

प्रवजन प्रमाण पत्र जो अन्तिम तौर पर विश्वविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है, वह लेने के पश्चात भी शिक्षार्थी द्वारा अंक पत्र में संशोधन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंक पत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु शुल्क निर्धारित करना आवश्यक है जिससे इस प्रकार के अभ्यास पर नियन्त्रण रखा जा सके।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंक पत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु रू 500/– शुल्क जमा कराने के पश्चात संशोधन किया जाय बशर्ते विश्वविद्यालय की इसमें कोई गलती न हो।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

04. <u>अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

अंक पत्र मुद्रित कर अध्ययन केन्द्र को एक साथ प्रेषित कर दिया जाता है। किन्तु प्रायः ऐसा पाया गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर जा कर अंक पत्र लेने के बजाय सीधे परीक्षा अनुभाग में आकर द्वितीय अंक पत्र का आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। शिक्षार्थियों की इस मंशा पर नियंत्रण रखने हेतु शुल्क वृद्धि पर विचार आवश्यक प्रतीत होता है। **(संलग्नक 13 पृष्ठ संख्या** 95-96 **)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/— से बढ़ाकर रू 200/— लिया जाय एवं उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत करने से पूर्व छात्र से हलफनामा जमा करा लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

05. <u>पूर्व निर्धारित संवीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

सत्र 2004—05 से संवीक्षा शुल्क रू 100/— लिया जा रहा है शिक्षार्थी द्वारा अनुत्तीर्ण होने के पश्चात् भी इस आशा से आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है कि संवीक्षा होने पर सम्भवतः वह उत्तीर्ण हो सकते हैं। यह शुल्क काफी पहले से चला आ रहा है। परीक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं पत्रचार आदि पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है अतः इस मद में शुल्क वृद्धि पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। **(संलग्नक 14 पृष्ठ संख्या 97-99 ....)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संवीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/— से बढाकर रू 200/— कर दिया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

06. UFM सम्बन्धी निर्णय के मानकों पर पुनः विचार

पूर्व निर्धारित UFM के मानकों का अनुपालन करते हुये प्रकरण को निस्तारित किया जाता रहा है जिसका विवरण निम्नवत है :–

बैठक में सदस्यों ने सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिये विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय 6 छात्र अनुशासन धारा 5 (xx) के अधीन ख (10) के आधार पर निम्न आधारों की अनुशंसा की :–

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान सत्र निरस्त एवं अगला सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

निर्णय में सत्र के पूर्व (परीक्षा सत्र) अंकित कराने पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। (संलग्नक 15 पृष्ठ संख्या 10-10)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से UFM सम्बन्धी निर्णय के पूर्व निर्धारित मानकों की निम्नानुसार संस्तुति की :

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

07. <u>परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन व अध्ययन केन्द्र परिवर्तन का शुल्क रू 750/है प्रायः शिक्षार्थी द्वारा केन्द्र परिवर्तन दर्शाते हुये आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र परिवर्तन कराना है अथवा परीक्षा केन्द्र। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के पूर्व निर्धारित शुल्क वृद्धि पर विचार कर इस असमंजस की स्थिति से बचा जा सकता है। **(संलग्नक 16 पृष्ठ संख्या** 102-103 **)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रत्येक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के लिये शुल्क रू 800/– किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

08. **परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयानुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों के प्रकरण पर पुनः विचार**

परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयनुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों पर आगामी परीक्षा के दृष्टिगत पुनः विचार करना आवश्यक है जिससे परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा सके। **(संलग्नक 17 पृष्ठ संख्या** 104-107**)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की:

1. **उड़ाका दल की आख्या के आधार पर ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनको अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित रखा गया था उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो ऐसे केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है। शेष तीन परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी।**
2. **ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके ऊपर उत्तर पुस्तिका विलम्ब से भेजने पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की कार्यवाही की गयी थी उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो इन केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है।**
3. **ऐसे केन्द्र जिन्हे अन्य कारण से अगले दो वर्ष तक/भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुये संस्तुति की गई थी ऐसे परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी। (संलग्नक 18 पृष्ठ संख्या** 108-112**)**

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

09. <u>विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार</u>

वर्तमान में स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है परीक्षाओं में अनियमितता रोकने व सुचिता को ध्यान में रखते हुये परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग पर विचार आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये संस्तुति की जिसका विवरण निम्नवत है:

1. **अब तक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय।**
2. **सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी।**
3. **"अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जाय।**

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्याकंन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार

परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुयी :–

(i) चरित्र प्रमाण पत्र सशुल्क निर्गत करने पर विचार ।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रू 50/– जमा करा कर चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(ii) प्रवेश पत्र पर संशोधन सम्बन्धी निर्देश अंकित किये जाने पर विचार।

प्रकरण पर चर्चा करते हुये सर्वसम्मति से परीक्षा समिति ने संस्तुति की कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका निस्तारण तत्काल करा लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.17

MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित कतिपय शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अध्ययन छोड़ दिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC के अंकपत्र के साथ सम्बन्धित डिप्लोमा (उपाधि) की मांग की जाती है। उल्लेखनीय है कि MCA अथवा MJ के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC के पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र के पूर्णतया समतुल्य हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए मा. कुलपति जी ने छात्र हित में सम्बन्धित शिक्षार्थियों का अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.18

जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों में अधिन्यास व्यवस्था प्रचलित थी जबकि ये प्रश्न पत्र पूर्णतया प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धित हैं। इस विसंगति को दूर करने हेतु पूर्व मा. कुलपति प्रो. ए.के. बख्शी द्वारा बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित

करते हुए एक समिति गठित की गयी थी। गठित समिति के बैठक की अनुशंसा संलग्नक 19 पृष्ठ संख्या 113-116 पर उपलब्ध है। समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत पूर्व मा. कुलपति प्रो. बख्शी जी द्वारा इन प्रश्न पत्रों के प्रायोगिक से सम्बन्धित होने के कारण इनमें अधिन्यास लिखने की व्यवस्था समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय में सम्बन्धित विभागों/अनुभागों को अवगत कराया जा चुका है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.19

B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Sc. कार्यक्रम में प्रवेशित कतिपय शिक्षार्थियों द्वारा चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय में अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र/उपाधि की माँग की जाती रही है। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति के उत्पन्न न होने एवं छात्र हित के दृष्टिगत पूर्व मा. कुलपति प्रो. ए.के. बख्शी जी द्वारा ऐसे सभी शिक्षार्थियों को B.Sc. कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण कर लिये जाने की स्थिति में अंक पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया था तथा तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है लेकिन प्रस्ताव है कि ऐसे प्रकरणों पर रोक कैसे लगायी जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण

करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं भविष्य में सूचना विवरणिका में वर्णित संयुक्तियों के अनुरूप ही प्रवेश लिये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.20

PGDCA कार्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षार्थी श्री गंगेश कुमार द्वारा Lateral Entry के आधार पर MCA कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेशोपरान्त MCA कार्यक्रम पूर्ण करने पर 8वें दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के परास्नातक कार्यक्रम से सम्बन्धित स्वर्ण प्रदक अन्य शिक्षार्थी श्रीमती प्रियंका राय को दिये जाने पर की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में विचार

श्री गंगेश कुमार PGDCA कार्यक्रम जून 2011 की परीक्षा में नामांकन संख्या 020055010018 से 76.25 प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण करने के उपरान्त सत्र 2011–12 में MCA कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में Lateral Entry के आधार पर प्रवेश लिया था तथा MCA कार्यक्रम हेतु उन्हें नामांकन संख्या 120057030001 आबंटित किया गया था। श्री गंगेश कुमार द्वारा MCA कार्यक्रम जून 2013 की परीक्षा में 75.47 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए पूर्ण किया गया।

2. श्रीमती प्रियंका राय ने 3 वर्षीय MCA कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में सत्र 2010–11 में प्रवेश लेने के उपरान्त जून 2013 की परीक्षा में इस कार्यक्रम को 75.72 प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण किया गया।

3. 8वें दीक्षांत समारोह के लिए MCA कार्यक्रम हेतु स्वर्ण पदक का निर्धारण करते समय स्वर्ण पदक निर्धारण समिति ने श्री गंगेश कुमार के MCA कार्यक्रम में Lateral Entry के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के कारण उनके द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किया था। श्री गंगेश कुमार द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उनके PGDCA कार्यक्रम, जो MCA कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के ही समतुल्य है, में प्राप्त अंकों को भी जोड़ते हुए स्वर्ण पदक का निर्धारण किया जाय। उल्लेखनीय है कि PGDCA कार्यक्रम में प्राप्त अंकों एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम (Lateral Entry) के द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्राप्त अंकों को जोड़ने पर श्री गंगेश कुमार का अंक 75.75 प्रतिशत होगा। लेकिन स्वर्ण पदक निर्धारण समिति द्वारा MCA (त्रिवर्षीय) व MCA (Lateral Entry) कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय नियमानुसार सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी के नाम की कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा के परास्नातक स्वर्ण पदक हेतु संस्तुत की गयी थी जिसके आधार पर श्रीमती प्रियंका राय को सन्दर्भित दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक दिया जा चुका है। श्री गंगेश कुमार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की शिकायत उनके द्वारा मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में भी की गयी है जिसके परिप्रेक्ष्य में मा. आयोग से दिनाँक 11–04–2014 का प्राप्त पत्र संज्ञानार्थ प्रस्तुत है **(संलग्नक 20 पृष्ठ संख्या ....117....)**। इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में मा. कुलपति जी के आदेश से मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय द्वारा दिनाँक 18–07–2014 को उत्तर प्रेषित किया जा

चुका है (संलग्नक 21 पृष्ठ संख्या 119-119)। उल्लेखनीय है कि Lateral Entry से सम्बन्धित कार्यक्रमों हेतु स्वर्ण पदक निर्धारण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित एम.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के तीनों वर्षो के प्राप्तांकों के प्रतिशत तथा एम.सी.ए. Lateral Entry कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के दोनों वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत की तुलना के आधार पर सर्वाधित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण शिक्षार्थी को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा का परास्नातक स्वर्ण प्रदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.21

DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Lateral Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को Lateral Entry के माध्यम से एम.सी.ए. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित के अनुसार समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया :–

1	डॉ. एस. पी गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	–	संयोजक
2	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन वि.शा. उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	–	सदस्य
3	प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, निदेशक, UPTECH, इलाहाबाद	–	सदस्य
4.	कम्प्यूटर क्षेत्र में भिज्ञ मा. कुलपति जी द्वारा नामित व्यक्ति	–	सदस्य

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.21

स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 02 मई, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो ए.के. बख्शी कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. एच.पी. तिवारी, पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 389, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद	सदस्य
3.	प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, UPTECH, तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)	सदस्य
4.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. डॉ. नागेन्द्र यादव,
एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य

10. डॉ. संतोषा कुमार,
उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य

11. डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य

12. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी,
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य

13. डॉ. ए.के. सिंह
कुलसचिव, ,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो. एम.डी. तिवारी,
निदेशक, आई.आई.आई.टी,
झलवा, इलाहाबाद

2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
अधिशाषी निदेशक,
स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110009

3. प्रो. डी.के. वैद्य,
आचार्य एवं डीन समन्वयन, NCERT
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016

4. डॉ. एस.पी. गुप्ता
निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति जी ने विद्या परिषद् के निवर्तमान सदस्य डॉ. एस.पी. सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ एवं डॉ. पी.के. पाण्डेय, उप निदेशक/उपाचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा विद्या परिषद् के विभिन्न बैठकों में दिये गये योगदान की सराहना की। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्य प्रो. के. के. भूटानी, निदेशक, UPTECH, तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद) एवं डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य का परिचय विद्या परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 31.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 31 मई, 2012 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक : पृष्ठ संख्या ---- : उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.02

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
29.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 के	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	कार्यवृत्त की पुष्टि।		
29.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
29.03	विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित बैठक दिनाँक 28–02–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
29.04	विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित बैठक दिनाँक 28–02–2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
29.05	सत्र 2012–13 से फोरेन्सिक साइंस विषय में 06 माह के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को संचालित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 29–12–2011 की कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2012–13 से फोरेन्सिक साइंस विषय में 06 माह के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को संचालित करने हेतु गठित समिति की बैठक की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 जून, 2012 को कार्य परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/508/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा प्रभारी, प्रवेश प्रकोष्ठ को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू./633/2012 दिनाँक 12–07–2013 द्वारा अनुमोदन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अद्यतन आदेश अप्राप्त होने से

			कार्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।
29.06	भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10–102/ओ.यू./2008/ आर.सी.आई./1385 दिनाँक 23 फरवरी, 2012 द्वारा PGPD-SEDE एवं PGPCSE कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पर विचार।	विद्या परिषद् ने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10–102/ओ.यू./2008/आर.सी. आई./1385 दिनाँक 23 फरवरी, 2012 द्वारा PGPD-SEDE एवं PGPCSE कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता को यथावत स्वीकार किया तथा बी. एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम की प्रवेश शुल्क रु. 7500/– से बढ़ाकर रु. 10000/– प्रति वर्ष व पी.जी.पी.डी. कार्यक्रम का प्रवेश शुल्क रु. 7000/– से बढ़ाकर रु. 8000/– करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 जून, 2012 को कार्य परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/507/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा तद्नुसार सत्र 2012–13 से क्रियान्वयन किया जा चुका है।
29.07	विभिन्न विषयों में पी. एच–डी. की मौखिकी परीक्षा होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने सम्बन्धित सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान किये जाने की अनुशंसा करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 18 सितम्बर, 2012 को कार्य परिषद् की 62वीं Adjourned बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। निर्णयानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पी–एच.डी. उपाधि प्रदान की जा चुकी है।
29.08	Certificate Course in Communication & Information Technology (CCCIT) कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद Certificate Course in Communication & Information Technology (CCCIT) कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।	दिनाँक 19 जून, 2012 को कार्य परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/509/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
29.09	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की दिनाँक 08–07–2011 को	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के आधार पर तैयार किये गये Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों की दिशा निर्देश को निम्न	दिनाँक 18 सितम्बर, 2012 को कार्य परिषद् की 62वीं Adjourned बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया

	सम्पन्न 479वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 2.05 के अनुक्रम में Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने पर विचार।	संशोधनों के साथ स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया :– (i) Ph.D कार्यक्रम के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 19 में शोध छात्रों को अपने शोध निर्देशक के परामर्श के अनुसार शोध कार्य हेतु सम्पूर्ण अवधि में 360 दिन की उपस्थिति के स्थान पर अनिवार्य रूप से 200 दिन की उपस्थिति दर्ज कराये जाने की संस्तुति की। (ii) Ph.D कार्यक्रम के शोध प्रबन्ध में साहित्य चोरी न होने का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था से प्राप्त करके शोध प्रबन्ध के साथ संलग्न किया जाय।	गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /1918/2013 दिनाँक 24-01-2013 द्वारा विशेष सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अद्यतन आदेश अप्राप्त होने से कार्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।
29.10	सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों यथा प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, पाठ्य सामग्री, परियोजना कार्य आदि में सुधार हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू./175/2012 दिनाँक 02–05–2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 17–05–2012 के कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों यथा प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, पाठ्य सामग्री, परियोजना कार्य आदि में सुधार हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /175/2012 दिनाँक 02–05–2012 द्वारा गठित समिति की दिनाँक 03 एवं 04 मई, 2012 के बैठक तथा क्षेत्रीय केन्द्र के समन्वयकों के साथ दिनाँक 17–05–2012 के बैठक की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 जून, 2012 को कार्य परिषद् के निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/510/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। निर्णयानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।
29.11	शैक्षिक सत्र 2012–13 से योग में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन पर विचार।	विद्या परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2012–13 से योग में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन किये जाने तथा इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु मा. कुलपति जी द्वारा गठित समिति की दिनाँक 30–05–2012 की बैठक की अनुशंसाओं को	दिनाँक 19 जून, 2012 को कार्य परिषद् के निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/511/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा प्रभारी,

		यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	प्रवेश अनुभाग एवं पत्राँक ओ. यू/511(1)/ 2012 दिनाँक 28–06–2012 द्वारा प्रभारी, पाठ्य सामग्री लेखन अनुभाग को क्रियांन्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /633/2012 दिनाँक 12–07–2012 द्वारा अनुमोदन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अद्यतन आदेश अप्राप्त होने से कार्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 31.03

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 1---- उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.04

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
30.01	दिनाँक 23 नवम्बर, 2012 को आयोजित होने वाले सप्तम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2011/जून 2012 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनाँक 23 नवम्बर, 2012 को आयोजित होने वाले सप्तम दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2011/जून 2012 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	सम्बन्धित पूर्ण सूची दिनाँक 22–11–2012 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने अनुमोदन किया तथा तद्नुसार उपाधिं दीक्षात समारोह में वितरित की गयी एवं अवशेष उपाधियाँ अभ्यर्थियों के पते पर प्रेषित की जा रही है।
30.02	दिनाँक 23 नवम्बर, 2012 को होने वाले सप्तम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	कुलपति जी ने दिनाँक 23 नवम्बर, 2012 को होने वाले दीक्षान्त दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.05

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित त्रिवर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Notification/ 40.5.1.4/2012 दिनाँक 01-11-2012 के अनुसरण में 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के रूप में संचालन करने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा त्रिवर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम संचालित है जिसके लिए कार्यक्रम/परीक्षा शुल्क प्रति वर्ष रु. 9700/– निर्धारित है। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Notification/40.5.1.4/2012 दिनाँक 01-11-2012 द्वारा एम.बी.ए. कार्यक्रम को 02 वर्षीय कार्यक्रम में परिवर्तित करने हेतु निर्देश दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के इस पत्र के अनुसरण में दिनाँक 27–02–2013 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा की अध्ययन बोर्ड (**बोर्ड ऑफ स्टडीज**) की सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.बी.ए. कार्यक्रम की समयावधि तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगामी सत्र

से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम संचालित किये जाने पर प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड की बैठक में यह भी संस्तुति की गयी कि एम.बी.ए. कार्यक्रम में ली जा रही कुल कार्यक्रम शुल्क को लगभग यथावत रखते हुए आगामी सत्र से प्रवेशार्थियों से रु. 15000/– प्रति वर्ष कार्यक्रम/परीक्षा शुल्क लिया जाय। प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड की बैठक दिनाँक 27–02–2013 एवं बैठक दिनाँक 02–03–2013 की कार्यवृत्त संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है। अतः त्रिवर्षीय एम. बी. ए. कार्यक्रम के स्थान पर आगामी सत्र से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा की अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड के बैठकों की कार्यवृत विद्या परिषद के समक्ष विचारर्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने त्रिवर्षीय एम. बी. ए. कार्यक्रम के स्थान पर जुलाई 2013–14 सत्र से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा की अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड के बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.06

विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14–5/2007(CPP) दिनाँक 27 नवम्बर, 2012 पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 14–5/2007(CPP) दिनाँक 27 नवम्बर, 2012 (संलग्नक पृष्ठ संख्या .. ..) द्वारा सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पंर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में लागू करने हेतु निर्देश दिया है। प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की दिनाँक 10–01–2013 की बैठक में यू.जी.सी. के पत्र दिनाँक 27–12–2012 पर विचारोपरान्त यह संस्तुति की गयी कि स्नातक स्तर पर इसे एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में सत्र 2013–14 से लागू किया जाय। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक । पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है। आपदा प्रबन्धन का पाठ्यक्रम (Syllabus) एवं सन्दर्भ पुस्तकें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित की जा चुकी है, जो संलग्नक पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है। इस

विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन को स्नातक स्तर पर किस तरह एवं किस रूप में लागू किया जाय, पर विचार करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड की दिनाँक 10–01–2013 की बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में आगामी सत्र 2014 से लागू किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.07

एक साथ दो या उससे अधिक कार्यक्रमों के प्रवेश नीति के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/Notification/40.5.1.5/2012/15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 पर विचार

विश्वविद्यालय में एक साथ दो कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है :–

(क) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम के प्रवेशार्थी/शिक्षार्थी अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र रह सकते हैं, परन्तु उसी प्रकृति अर्थात् उसी स्तर के उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में नामांकित शिक्षार्थी को निम्नानुसार प्रवेश लेने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है :–

क्र.सं.	अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के अनुमन्य कार्यक्रम
1.	स्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र
2.	परास्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र
3.	पी.जी. डिप्लोमा	एक प्रमाण पत्र
4.	डिप्लोमा	एक डिग्री या एक प्रमाण पत्र
5.	प्रमाण पत्र	एक डिग्री या एक डिप्लोमा

लेकिन इस क्रम में अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थी को अध्ययनरत रहने की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य है।

(ख) इस विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ शिक्षार्थी पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते। शिक्षार्थियों को एक शैक्षिक सत्र में संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु निम्नानुसार सुविधाएं ही अनुमन्य है :–

क्र.सं.	अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के अनुमन्य कार्यक्रम
1.	स्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम
2.	परास्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम
3.	पी.जी. डिप्लोमा/डिप्लोम	एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या F.No/Dec/Notification/ 40.5.1.5/2012/15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या ....) द्वारा अधिसूचित किया है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति अथवा दूरस्थ एवं परम्परागत शिक्षा पद्धति से उसी विश्वविद्यालय अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में कोई भी अध्ययनरत शिक्षार्थी निम्न संयोजन के अनुसार कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का विकल्प चुन सकता है :–

1. एक डिग्री एवं डिप्लोमा/परास्नातक डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
2. एक परास्नातक डिप्लोमा एवं डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
3. एक डिप्लोमा एवं एक प्रमाण पत्र ।
4. दो परास्नातक डिप्लोमा।
5. दो डिप्लोमा।
6. दो प्रमाण पत्र।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/Notification/ 40.5.1.5/2012/15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 द्वारा निर्गत अधिसूचना को विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.08

आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने पर विचार

आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं से प्रस्ताव मांगे गये थे। प्राप्त प्रस्तावों के अवलोकन पर चर्चा के उपरान्त सम्बन्धित विद्या शाखाओं द्वारा पुनश्च संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा निम्न विवरण के अनुसार कार्यक्रमों के संचालन हेतु संस्तुतियाँ की गयी है :–

(क) मानविकी विद्या शाखा द्वारा संस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Diploma in Urdu

(ii) Master of Arts in Urdu

(ख) समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा संस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate in Buddhist Studies

(ii) Certificate in Rural Development

(iii) Certificate in Social Work and Criminal Justice System

(ग) शिक्षा विद्या शाखा द्वारा संस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate in Life Long Learning

(ii) Diploma in Educational Technology

(घ) प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा द्वारा संस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate in Tourism Marketing

(ii) Diploma in Co-operative Management (Agro-based Co-operatives)

(iii) P.G. Diploma in Supply Chain Management

(ङ) कृषि विज्ञान विद्या शाखा द्वारा संस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) MBA (In Agriculture Business)

(ii) M.Sc. (Chemistry)

(iii) Diploma in Bio Statistics

(iv) Diploma in Official and Acturial Statistics

(v) Diploma in Economic and Industrial Statistics

(vi) Diploma in Industrial Chemistry

अतः विभिन्न विद्या शाखाओं के प्रस्तावानुसार नये शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा की गयी संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.09

दिनाँक 17 अप्रैल, 2013 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार

दिनाँक 17 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त निम्नवत है :–

1. परीक्षा समिति की दिनांक 27 अप्रैल 2011 को सम्पन्न 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 27 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 27 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. परीक्षा समिति की विगत बैठक 27 अप्रैल 2011 के निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत होना

परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक 27 अप्रैल 2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय	पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
13.01	परीक्षा समिति की पिछली बैठक दिनांक 19 अप्रैल 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
13.02	विगत बैठक के निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
13.03	परीक्षा जून 2010 के सापेक्ष गठित UFM समिति एवं संवीक्षा समिति के प्रतिवेदन से अवगत होना।	समिति की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार किया गया।	निर्णयानुसार दण्ड दिया गया।
13.04	परीक्षा दिसम्बर–2010 में अनुचित साधनों के मामलों को निस्तारित करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।	समिति की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार किया गया।	तदनुसार कार्यवाही की गयी।
13.05	शासन के पत्र संख्या–306/सत्तर–1–2011–15(32)/81, दिनांक 29 मार्च, 2011 "राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में" को अंगीकृत करने पर विचार।	शासनादेश को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	यथावत स्वीकार करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
13.06	परीक्षा दिसम्बर 2007 तक की उत्तर पुस्तिका को नष्ट करने के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार।	समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।	कार्यवाही की गयी।
13.07	परीक्षा जून 2011 हेतु केन्द्र निर्धारण के मानक पर विचार।	समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।	समिति के अनुशंसा पर कार्यवाही की गयी।

3. परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा पूर्व के वर्षो में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु जो मानक निर्धारित किये गये हैं (संलग्नक..... पृष्ठ.....) उस पर चर्चा की गयी एवं संस्तुति की गयी कि किसी केन्द्र के खिलाफ यदि कोई आरोप है तो जाँच के परिणाम आने तक उस अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। साथ ही यह भी संस्तुति की गयी कि आरोपित/काली सूची के अध्ययन/परीक्षा केन्द्रों को पुनः परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. जून – 2013 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार

परीक्षा समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण हेतु एक समिति गठित करने की संस्तुति की गयी। माननीय कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने हेतु समिति के सदस्यों को नामित कर समिति का गठन किया जायेगा जो गठन के एक सप्ताह के अन्दर परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण कर अन्तिम सूची तैयार करेगी। पूर्व परीक्षा जून – 2012 व दिसम्बर – 2012 के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची तैयार कर ली गयी जिस पर परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। प्रस्तावित सूची संलग्नक..... पृष्ठ संख्या..... ..... पर उपलब्ध है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. पूर्व की परीक्षाओं में निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों से अवगत होना

परीक्षा जून – 2012 व दिसम्बर – 2012 के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। सूची संलग्नक...10..... पृष्ठ संख्या..... पर उपलब्ध है।

विद्या परिषद् प्रश्नगत बिन्दु से अवगत हुई।

6. जून 2013 की परीक्षा समय सारणी पर विचार।

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि जून – 2013 परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 22.03.2013 को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया गया था जिसके सापेक्ष संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुये। सुझाव के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन कर अन्तिम रूप दिया जा चुका है। माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को महामहिम कुलाधिपति कार्यालय प्रेषित किया किया जा चुका है। (संलग्नक... .... पृष्ठ संख्या.. पर उपलब्ध है)।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. दिसम्बर 2011 व जून 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग मामलों के निस्तारण हेतु गठित समिति एवं संवीक्षा समिति के प्रतिवेदन से अवगत होना।

दिसम्बर – 2011 व जून – 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग मामलों व संवीक्षा हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन (संलग्नक... .. पृष्ठ संख्या... पर उपलब्ध है) से परीक्षा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय

कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मामलों का निस्तारण किया गया एवं शिक्षार्थियों को सूचित किया गया। परीक्षा समिति द्वारा बी.एल. आई. एस. कोर्स के प्रकरण पर चर्चा की गयी जिसमें अंक परिवर्तित थे व टिप्पणी की गयी कि ऐसे परीक्षक को पहचान कर उन्हें परीक्षा कार्य से दूर रखा जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

8. <u>परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के पारिश्रामिक (जो राज्य विश्वविद्यालयों के लिए जारी शासनादेश में आच्छादित नहीं है) के पुनरीक्षण पर विचार</u>

परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के परिश्रमिक के पुनरीक्षण पर विचार के सन्दर्भ में सदस्यों द्वारा चर्चा की गयी एवं आम सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि एक समिति का गठन किया जाय जो अपने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव तैयार करें एवं परीक्षा सम्बन्धित दरें पुनरीक्षित करें। जो दरें लागू न हो उसे निकाल दिया जाय एवं इस सन्दर्भ में प्रस्ताव वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. <u>अंकपत्र संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार</u>

परीक्षा समिति द्वारा इस विषय पर चर्चा की गयी कि अंकपत्र संशोधन हेतु एक वर्ष का समय निर्धारित किया जाय। अंकपत्र व प्रवेश पत्र में शिक्षार्थी के नाम हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषा में उल्लेख किया जाय। प्रवेश विवरणिका में यह बिन्दु अंकित कर दिया जाय कि यदि शिक्षार्थी प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर प्रवेश सम्बन्धी Basic Data में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन नही करवा लेता है तो उसे संशोधन के लिये शपथ पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. <u>BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा के प्रकरण पर विचार</u>

परीक्षा समिति के समक्ष BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा का प्रकरण रखा गया। चर्चा के पश्चात आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उत्तर पुस्तिका न भेजने के सन्दर्भ में परीक्षा केन्द्र रामलगन पी. जी. कालेज, मऊ, एस–187 को कारण बताओ नोटिस भेजा जाय एवं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुये अध्ययन

केन्द्र व परीक्षा केन्द्र को स्थगित कर दिया जाय। छात्रा द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों के अंको के आधार पर छात्रा को सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान कर मामले का निस्तारण कर दिया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. <u>उपभोक्ता फोरम में योजित वाद सुश्री विरक्ति राय के प्रकरण एवं निस्तारण आदेश से अवगत होना</u>

उपभोक्ता फोरम में सुश्री विरक्ति राय द्वारा योजित वाद के प्रकरण में पारित आदेश से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। परीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसको ध्यान में रखा जाय। परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सुश्री विरक्ति राय को सूचना प्रेषित की जाय कि उनके द्वारा दी गयी एम.ए. की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की जा रही है। अतः इस क्रम में उनके एम. ए. का अंकपत्र व उपाधि भी निरस्त की जाती है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. <u>MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के प्रकरण पर विचार।</u>

MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के MAEN-07 प्रश्न पत्र का प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया एवं अवगत कराया गया कि परीक्षा जून – 2012 में छात्रा द्वारा दिये गये MAEN-07 प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका उनके परीक्षा केन्द्र ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद, एस– 51 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में उक्त अध्ययन केन्द्र से पत्राचार किया गया जिसका कोई उत्तर अद्यतन केन्द्र द्वारा नहीं दिया गया। परीक्षा समिति द्वारा सब पहलुओं पर विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि छात्रा द्वारा परीक्षा सत्र जून – 2012 में MAEN-07 के साथ दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों के अंको के आधार पर सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया जाय। साथ ही अध्ययन केन्द्र को कारण बताओ नोटिस देते हुये परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.10

दिनाँक 29 अप्रैल, 2013 को कमेटी कक्ष में आहूत मान्यता बोर्ड की 16वीं Adjourned बैठक, जो दिनाँक 02 मई, 2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार

दिनाँक 29 अप्रैल, 2013 को कमेटी कक्ष में आहूत मान्यता बोर्ड की 16वीं Adjourned बैठक, जो दिनाँक 02 मई, 2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त निम्नवत है :–

1. मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 फरवरी 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि

मान्यता बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 01 फरवरी 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2 मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 फरवरी 2013 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

मान्यता बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनांक 01 फरवरी 2013 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई :

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
15.01	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
15.02	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
15.03	सत्र 2013–14 से नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिये विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड, आवेदन पत्र के प्रारूप, स्थलीय निरीक्षण आख्या के प्रारूप एवं अनुबन्ध–पत्र (MoU) में गठित समिति द्वारा	मान्यता बोर्ड आगामी सत्र हेतु नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड, आवेदन पत्र के प्रारूप, स्थलीय निरीक्षण आख्या के प्रारूप एवं अनुबन्ध–पत्र (MoU) को कतिपय संशोधन के साथ स्वीकार किया।	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु संशोधित मानक/मापदण्ड के अनुसार संशोधित आवेदन पत्र पर प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की गयी।

	किये गये संशोधन पर विचार।		
15.04	सत्र 2013–14 में असेवित एवं अल्पसेवित जनपदों में नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने निर्णय लिया कि सत्र 2013–14 में असेवित एवं अल्पसेवित जनपदों में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु वरीयता प्रदान किया जाय।	सत्र 2013–14 में असेवित एवं अल्पसेवित जनपदों में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु राजकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 0771–078€ दिनांक 19.02.2013 एवं दूरभाष द्वारा प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध मे सूचित किया गया।
15.05	सत्र 2012–13 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित तिथि (दिनांक 30 अप्रैल 2012) के अन्दर प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार	सत्र 2012–13 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित तिथि (दिनांक 30.04.2012) के अन्दर प्राप्त तीन प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर निरीक्षण मण्डल द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत अनुशंसा पर मा0 कुलपति जी के आदेश से मान्यता बोर्ड ने सहमति व्यक्त की।	ऐसे नये अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 0824–0826 दिनांक 23.02.2012 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
15.06	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित तिथि (दिनांक 30 अप्रैल 2012) के अन्दर प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि (दिनांक 30.04.2012) के अन्दर प्राप्त चार प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर निरीक्षण मण्डल द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत अनुशंसा पर मा0 कुलपति जी के आदेश से मान्यता बोर्ड ने सहमति व्यक्त की।	निर्णय से सम्बन्धित पत्र विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 0827–0830 दिनांक 23.02.2013 द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को प्रेषित किया जा चुका है।

3. <u>सत्र 2013–14 में नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।</u>

सत्र 2012–13 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित तिथि 05.03.2013 तक कुल 98 आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ऐसे सभी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गयी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त प्राप्त अनुशंसा, जो संलग्नक – ..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत असेवित तथा अल्पसेवित जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों/आवदेन पत्रों पर गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सहमति व्यक्त की तथा स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत शेष स्थापित होने वाले नये अध्ययन केन्द्रों से निम्नानुसार सूचना/आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी – (क) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से जिला मुख्यालय की दूरी। (ख) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से उ0प्र0 राजिर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का पूर्व से संचालित निकटतम अध्ययन केन्द्र का नाम तथा उसकी दूरी। वांछित सूचना 20 मई, 2013 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

4. <u>पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार</u>

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित तिथि 05.03.2013 तक कुल 72 आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावों/आवेदन पत्रों का परीक्षण गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया। स्क्रीनिंग समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त प्राप्त अनुशंसा, जो संलग्नक – ..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित स्क्रीनिंग समिति से प्राप्त अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

5. <u>सत्र 2013–14 में प्रस्तावित नये अध्ययन केन्द्र/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र पर BLIS कार्यक्रम देने पर पुनः विचार</u>

सत्र 2013–14 में प्रस्तावित नये अध्ययन केन्द्र/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र पर BLIS कार्यक्रम संस्तुत करने हेतु कार्य परिषद के निर्णयानुसार एवं विश्वविद्यालय मानकानुसार BLIS कार्यक्रम उ0प्र0 शासन द्वारा स्थापित स्नातक/स्नातकोतर महाविद्यालय, जो तीन वर्ष से संचालित हैं, को स्थलीय निरीक्षण कराने के पश्चात् दिये जाने का प्राविधान है। उ0प्र0 शासन द्वारा महाविद्यालयों को मान्यता देते समय ही पुस्तकालय का होना आवश्यक होता है। अतः BLIS कार्यक्रम को महाविद्यालयों को दिये जाने हेतु प्रकरण पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने उ0प्र0 शासन द्वारा महाविद्यालयों को मान्यता देते समय ही अनिवार्य रुप से पुस्तकालय के स्थापित होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रस्तावित महाविद्यालयों में नये अध्ययन केन्द्रों/पूर्व से संचालित अध्ययन कन्द्रों पर बिना स्थलीय निरीक्षण के BLIS कार्यक्रम संस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में BLIS कार्यक्रम अनुमन्य किये जाने हेतु मानक के अनुसार निरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.11</u>

<u>राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–5114/जी0एस0 दिनांक 06–07–2012 पर विचार</u>

(क) राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–5114/जी0एस0 दिनांक 06–07–2012 द्वारा ऐसे कार्यक्रमों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची में नहीं है, को अविलम्ब बन्द किये जाने तथा भविष्य में संचालित न किये जाने का निर्देश दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में से 25 कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों), जिनकी सूची संलग्नक · पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, की मान्यता/अनुमति DEC/UGC/AICTE से प्राप्त नही हुई थी। इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्/कार्य परिषद की स्वीकृति के उपरान्त संचालित किया जा रहा था। अतः राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनाँक 06–07–2012 के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा इन 25 कार्यक्रमों का संचालन सत्र 2012–13 से बन्द कर दिया गया। इन कार्यक्रमों के मान्यता हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् (DEC), इग्नू, नई दिल्ली के पत्र संख्या DEC/Misc/DEIsPW recog/2012 दिनांक 30–03–2012 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./633/2012 दिनांक 12–07–2012 एवं पत्रांक ओ.यू./739/2012 दिनांक 09–08–2012 द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद् (DEC), इग्नू, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन मान्यता से सम्बन्धित आदेश अद्यतन अप्राप्त है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की दिनाँक 08–07–2011 को सम्पन्न 479वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 2.05 (संलग्नक · पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है) के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 21–07–2012 के संकल्प संख्या 62.13 (9) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (संलग्नक पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है) के आधार पर तैयार किये गये दिशा निर्देश के अनुसार दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पुनः Ph.D एवं M.Phil कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया। इन कार्यक्रमों के मान्यता हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./740/2012 दिनांक 09–08–2012 द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) नई दिल्ली, को पत्र प्रेषित किया गया था लेकिन मान्यता से सम्बन्धित आदेश अद्यतन अप्राप्त है।

(ग) उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि मान्यता/अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली में कई बार दूरभाष/व्यक्तिगत वार्ता करने के उपरान्त सिर्फ आश्वासन ही मिला कि शीघ्र ही अनुमति/मान्यता प्रदान कर दी जायेगी। इसके पश्चात् भी उक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दूरस्थ शिक्षा परिषद् (DEC), नई दिल्ली से अद्यतन अप्राप्त है।

विद्या परिषद् सम्बन्धित बिन्दु पर उक्त तथ्यों से अवगत होतें हुए विचार किया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत प्रकरण के सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया कि जनहित/छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बन्द किये गये सभी कार्यक्रमों को पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति जी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को पुनः संचालित किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 31.12

विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार

विश्वविद्यालय में कई ऐसे कार्यक्रम संचालित है जिनके विश्वविद्यालय द्वारा स्व निर्मित कोई अध्ययन सामग्री/पाठ्य सामग्री नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री के रूप में पाठ्य सामग्री या तो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित या बाजार से टेक्स्ट बुक क्रय कर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा ऐसे सभी कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं की समीक्षा बैठकों में निर्देश दिया गया। इस दिशा में सभी विद्या शाखाओं द्वारा अपने अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की आवश्यक समीक्षा करते हुए स्व अध्ययन सामग्री (पाठ्य सामग्री) निर्माण किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस क्रम में सम्बन्धित विद्या शाखाओं में संचालित इकाईयों (विषयों) के अध्ययन बोर्ड/विषय विशेषज्ञों की बैठक आहूत कर संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों (Syllabi) की समीक्षा की गयी। पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के साथ पाठ्य सामग्री निर्माण हेतु लेखकों/विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गयी। परिनियमावली में दिये गये व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अध्ययन बोर्ड या विशेष विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची को सम्बन्धित विद्या शाखाओं के बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की संस्तुतियाँ विद्या परिषद के समक्ष निम्न के अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत हैं :–

(क) मानविकी विद्या शाखा

मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची मानविकी विद्या शाखा के बोर्ड

(School Board) की दिनाँक 27–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(ख) समाज विज्ञान विद्या शाखा

समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 08–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(ग) विज्ञान विद्या शाखा

विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखको–विषय विशेषज्ञों की सूची विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 27–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(घ) शिक्षा विद्या शाखा

शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखको–विषय विशेषज्ञों की सूची शिक्षा विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 04–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(ङ) प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखको–विषय विशेषज्ञों की सूची प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 26–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(च) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा

कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची कम्प्यूटर

एवं सूचना विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 27–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(छ) <u>स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा</u>

स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 27–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

(ज) <u>कृषि विज्ञान विद्या शाखा</u>

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची कृषि विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 27–04–2013 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्न है।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

सहपत्रक - 02

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 07 फरवरी, 2014 को अपराह्न 2:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो जे.वी. वैशम्पायन
   कुलपति, — अध्यक्ष
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
   अधिशाषी निदेशक, — सदस्य
   स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग,
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110009
3. प्रो. के.के. भूटानी,
   निदेशक, UPTECH, — सदस्य
   तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
   (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)
4. डॉ. एस.पी. गुप्ता,
   निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा — सदस्य
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. एम.एन. सिंह,
   निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा — सदस्य
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. डॉ. ओम जी गुप्ता,
   निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7. डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

8. डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष, सदस्य
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

9. डॉ. नागेन्द्र यादव,
एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, सदस्य
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. आर.पी.एस. यादव,
एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, सदस्य
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. जी.के. द्विवेदी,
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, सदस्य
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. दिनेश सिंह,
सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, सदस्य
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. ए.के. सिंह
कुलसचिव, सदस्य सचिव
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो. एम.डी. तिवारी,
निदेशक, आई.आई.आई.टी,
झलवा, इलाहाबाद

2. प्रो. एच.पी. तिवारी,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
389, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद

3. प्रो. डी.के. वैद्य,
आचार्य एवं डीन समन्वयन, NCERT
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों को दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को होने वाले दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 32.01

दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार

दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 32.02

दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार।

दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्टम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 32.03

दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।

कुलपति जी ने दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

सं०-16-03

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 03 मई, 2014 को अपराह्न 12:30 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 33वीं आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. डॉ. पृथ्वीश नाग
   कुलपति, — अध्यक्ष
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. डॉ. एस.पी. गुप्ता,
   निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा — सदस्य
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. डॉ. एम.एन. सिंह,
   निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा — सदस्य
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. ओम जी गुप्ता,
   निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. डॉ. टी.एन. दुबे,
   पुस्तकालयाध्यक्ष, — सदस्य
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7. डॉ. नागेन्द्र यादव,
   एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
8. डॉ. आर.पी.एस. यादव,
   एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

9. डॉ. जी.के. द्विवेदी, सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. दिनेश सिंह, सदस्य
सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. बी.एन. सिंह, विशेष आमंत्रित सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. मुकेश, विशेष आमंत्रित सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. ए.के. सिंह सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो. एम.डी. तिवारी,
पूर्व निदेशक, आई.आई.आई.टी. झलवा, इलाहाबाद
2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
अधिशाषी निदेशक,
स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110009
3. प्रो. डी.के. वैद्य,
आचार्य एवं डीन समन्वयन, NCERT
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016
4. प्रो. के.के. भूटानी,
निदेशक, UPTECH,
तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
(निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)
5. प्रो. एच.पी. तिवारी,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
389, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व नवागत कुलपति डॉ. पृथ्वीश नाग जी ने सभी उपस्थित सदस्यों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.01

दिनाँक 03 मई, 2014 को परीक्षा समिति की सम्पन्न आपातकालीन बैठक में की गई संस्तुतियों पर विचार

(I) सत्र 2009 – 10 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 22005/2014 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये **Observation** के आलोक में प्रकरण पर विचार

कुमारी प्रिया मिश्रा ने सत्र 2009 – 10 में बी. ए. सामान्य कार्यक्रम में अध्ययन केन्द्र एस 189 गौतम बुद्ध महाविद्यालय, फूलपुर, इलाहाबाद में प्रवेश हेतु आवेदन किया था। प्रवेशोपरान्त उन्हें नामांकन संख्या 921891010202 आवंटित किया गया था। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रवेश सूचना विवरणिका 2009–10 में उल्लिखित प्रतिबन्धित विषयों संस्कृत व समाजशास्त्र का एक साथ चयन कर क्रमशः जून 2011 व जून 2012 में परीक्षा दी गयी। जून 2011 व जून 2012 की परीक्षा के सापेक्ष उनका अंकपत्र भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कर दिया गया। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रतिबन्धित विषयों के चयन किये जाने की स्थिति का विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने पर प्रवेश सूचना विवरणिका 2009–10 **(संलग्नक 01)** के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा उनके बी. ए. कार्यक्रम पूर्ण करने (श्रेणी सहित) का अंकपत्र निर्गत नहीं किया गया। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा अपने कार्यक्रम के जिन प्रश्नपत्रों (पाठ्यक्रमों) की परीक्षा दी गयी थी उसके सापेक्ष अपने बी. ए. कार्यक्रम का पूर्ण (उत्तीर्ण) अंकपत्र (श्रेणी सहित) निर्गत करने हेतु मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 22005/2014 कुमारी प्रिया मिश्रा बनाम कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद व अन्य योजित किया गया। योजित याचिका में सुनवायी के समय मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observations के आलोक में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा कुमारी प्रिया मिश्रा को जून 2012 परीक्षा के सापेक्ष निर्गत अंकपत्र में उत्तीर्ण (Pass) अथवा अनुत्तीर्ण (Fail) अंकित करते हुये

संशोधित अंकपत्र निर्गत करने हेतु अपेक्षा की गयी । उल्लेख करना है कि जून 2011 व जून 2012 की परीक्षा के पूर्व प्रवेश पत्र निर्गत करने के समय कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रतिबन्धित विषयों के चयन करने की जाँच सम्यक ढंग से नहीं की जा सकी थी जिससे यह त्रुटि हुयी थी। इस त्रुटि को मा. उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा इस पर विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है। दिनांक 30/04/2014 को प्रश्नगत याचिका की सुनवायी में मा. उच्च न्यायालय द्वारा याची को पुनः नया संशोधित प्रत्यावेदन (संलग्नक 02) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रश्नगत याचिका की सुनवायी पुनः दिनांक 08/05/2014 को प्रस्तावित है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार करके निम्नवत संस्तुतियाँ की –

I. कुमारी प्रिया मिश्रा के प्रकरण में छात्रा के हित व व्यतीत समय एवं योजित याचिका के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थिति में प्रवेश सूचना विवरणिका में वर्णित प्रतिबन्धित विषय विकल्पों में छूट प्रदान करते हुए उनके द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंकपत्र श्रेणी सहित निर्गत किया जाय।

II. प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के किसी अन्य प्रकरण के संज्ञान में आने पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर मा. कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जाय।

III. प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश रोकते हुये, नामांकन संख्या व परिचय पत्र न आवंटित किये जाय।

IV. परीक्षा अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश पत्र न जारी किया जाय। यदि शिक्षार्थी प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के साथ परीक्षा दे देता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाये।

V. अंकपत्र के प्रारूप संशोधन हेतु मा. कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की उक्त अनुशंसाओं पर सम्यक ढंग से विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने स्वीकार किया।

(2) अध्ययन केन्द्र S-004: श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने के कारण रोके गये परीक्षाफल पर विचार

श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने तथा सम्बन्धित शिक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के सापेक्ष प्राचार्य, मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज बलिया के जून 2013 परीक्षा की परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी पत्र (संलग्नक–03) पर चर्चा की गयी और विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष जिन शिक्षार्थियों के अधिन्यास के कारण अंकपत्र अपूर्ण हैं उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित लिखित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में जमा करने के लिये सूचित किया जाय तथा उसका मूल्यांकन करा कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये। यह सूचना अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य/समन्वयक को भी प्रेषित किया जाय। अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये अध्ययन केन्द्र पर रु. 03 लाख का जुर्माना भी लगाया जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

(3) अध्ययन केन्द्र S-703 : डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनजमेन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र पर विचार

डिफेन्स कालेज आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र, (संलग्नक–04), जो परीक्षा केन्द्र को काली सूची से बाहर करने एवं केन्द्र की पुरानी स्थिति बहाल करने के सम्बन्ध में है, पर चर्चा की गयी और परीक्षा समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं इसलिये मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा किया जाय तथा परीक्षा समिति के पुराने निर्णय को यथावत रखा जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

(4) **अध्ययन केन्द्र राजा कान्ह पी.जी. कालेज, जगेसरगंज, सुल्तानपुर के शिक्षार्थी श्री ओम प्रकाश तिवारी 1498, नवीनपुर शाहगंज (श्यामानगर) सुल्तानपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से योजित याचिका संख्या 37079/2012 में पारित आदेश दिनाँक 31.07.2012 के अनुसरण में कृत कार्यवाही से अवगत होना**

श्री ओम प्रकाश तिवारी, 1498, नवीपुर, शाहगंज, (श्यामनगर) सुल्तानपुर के शिकायती पत्र तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या – 37079/2012 ओम प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2012 के अनुपालन में तत्कालीन मा. कुलपति जी द्वारा दिनांक 04/10/2013 को निर्गत **आदेश/निर्णय से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। आदेश** के अनुपालन में कृत कार्यवाही से भी परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र व अनुस्मारक के उत्तर अद्यतन प्रतीक्षित हैं।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र के उत्तर आने तक प्रकरण पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा अनुस्मारक भेजा जाय एवं उन्हे दो माह का समय दिया जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन मा0 कुलपति जी द्वारा निर्गत आदेश/निर्णय के आलोक में कार्यवाही किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.02

अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण के सम्बन्ध में विचार

दिनाँक 18 सितम्बर, 2012 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 62वीं Adjourned बैठक के संकल्प संख्या 62.13(10) के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्क्रमों के अधिन्यास के चार सेट बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। अधिन्यास के चार सेट बनाये जाने से अधिक धनराशि व्यय हो रहा है। अतः प्रकरण पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि अधिन्यास प्रश्न पत्र व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा करके विभिन्न विद्याशाखाओं के निदेशकों की एक समिति गठित कर उनसे तत्काल प्रस्ताव प्राप्त कर माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाय। विद्या परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 के लिए एक–एक अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाने के लिए सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिन्यास निर्माता का नाम निर्धारित करने एवं निर्मित कराने के लिए अधिकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम निर्धारित करने एवं मूल्यांकन कराये जाने हेतु भी सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिकृत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.03

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के प्रतिबन्ध पर सरलीकरण किए जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु कतिपय विषयों को एक साथ चयन किये जाने पर प्रतिबन्ध है जिस पर विचार किया जाना आवश्क है।

विद्या परिषद् ने वैकल्पिक विषयों के चयन में प्रतिबन्ध के सरलीकरण किये जाने हेतु डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को एक प्रस्ताव बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(ए.के. सिंह)
कुलसचिव

कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी0ए0 / बी0एस0सी0 के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन अग्रेतर एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर विचार करने हेतु पत्रांक संख्या ओ.यू. / 727 / 2013 दिनांक 09.07.2013 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 का कार्यवृत्त

उपस्थित :—

1. प्रो0 एस0पी0 गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा
2. डॉ0 बी0एन0 सिंह, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा
3. डॉ0 एम0एन0 सिंह निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा
4. डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा
5. डॉ0 प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशखा
6. डॉ0 डॉ0 जी0के0 द्विवेदी, प्रभारी, प्रवेश अनुभाग

सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से संस्तुत किया कि—

1. बी0ए0(सामान्य), बी0ए0(मेजर) तथा बी0ए0(रोजगार परक) के तीन भिन्न–2 कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रवेश प्रभारी द्वारा बताये प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं विगत सत्रों में बी0ए0 (मेजर) व बी0ए0(रोजगार परक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन तीनों के स्थान पर केवल बी0ए0 (सामान्य) का कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी0ए0 के नाम से ही सम्बोधित किया जाये

2. बी0एस–सी0(सामान्य), बी0एस–सी0(मेजर) तथा बी0एस–सी0(रोजगार परक) के तीन भिन्न–2 का कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रवेश प्रभारी द्वारा बताये प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं विगत सत्रों में बी0एस–सी0 (मेजर) व बी0एस–सी0(रोजगार परक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन

तीनों के स्थान पर केवल बी0एस–सी0 (सामान्य) का कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी0एस–सी0 के नाम से ही सम्बोधित किया जाय।

3. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी0ए0 के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान कला स्नातक (सामान्य) कला (मेजर,) अथवा कला स्नातक (रोजगारपरक) एवं Degree of Bachelor of Arts (General),Degree of Bachelor of Arts (Major), Or Degree of Bachelor of Arts (Job Oriented) लिखा जाये।

4. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी0ए–सी0 के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान कला स्नातक (सामान्य) कला (मेजर,) अथवा कला स्नातक (रोजगारपरक) एवं Degree of Bachelor of Science (General), Degree of Bachelor of Science (Major), Or Degree of Bachelor of Science (Job Oriented) लिखा जाये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

8.10.2013
प्रो0 (एस0पी0 गुप्ता)
निदेशक

08.10.2013
डॉ0 (बी0एन0 सिंह)
निदेशक

8-10-13
डॉ0 (एम0एन0 सिंह)
निदेशक

08-10-13
डॉ0 (ओम जी गुप्ता)
निदेशक

08.10.2013
डॉ0(प्रेम प्रकाश दुबे)
निदेशक

डॉ0 (डॉ0 जी0के0 द्विवेदी)
प्रभारी

कुलसचिव,
वांछित आदेश प्रस्तुत हो

8|10|2013

कुलसचिव। मा० कुलपति जी
कृपया अनुमोदन करना चाहें।
10.10.13
10-10-13

10|10|13

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या : ई–3456 /जी.एस.
दिनांक : 23/05/ 2014

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

विषय– कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2012 के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने पत्रांकःओ0यू0/वी0सी0/4430/2014, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि एंकल विषय में स्नातक कला (द्विवर्षीय) पाठ्यकम से संबंधित जब तक अध्यादेश तैयार कर मा0 कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में नहीं लाया जाता, तब तक नये प्रवेश न लिये जांय।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव।

78

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Speed Post

(Distance Education Bureau, IGNOU Campus, Maidan Garhi, New Delhi - 110068)

F.No. UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09 | 7022-7026

28th May, 2014

To,

The Vice-Chancellor
Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU)
Shantipuram, Phaphamau
Allahabad-211 013
Uttar Pradesh

Sub.: Continuation of recognition for offering programmes in Open & Distance Learning (ODL) for academic year 2014-15 - reg.

Sir/Madam,

Reference is invited to Office letter No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/1423-1426 dated 29th August 2014 conveying the approval of the University Grants Commission (UGC) to your Institution/University for offering programmes in ODL mode. In this regard, I am directed to inform that the UGC has taken decision to maintain status quo for 2014-15 and accordingly the recognition/approval granted to you vide the aforementioned letter would continue for academic year 2014-15. Your University may offer the programmes in ODL mode which was approved by the statutory body of your University and were offered during 2013-14 in accordance with approval conveyed by UGC.

2 The above recognition is subject to the following terms and conditions:

i) The University shall offer only those programmes through distance mode which are approved by the statutory bodies of the University as per norms and wherever necessary by the Apex regulatory bodies of the country.
ii) It is the responsibility of the University to follow the norms prescribed by the concerned regulatory body/ies such as UGC/AICTE/any other, and also seek its/their prior approval, wherever required, for any specific programme mentioned above.
iii) Nomenclature of all programmes shall be as per UGC/AICTE .
iv) No teacher education programmes can be offered without prior approval of the NCTE.
v) Programmes in physiotherapy are not allowed through distance mode.
vi) University/Institution shall refrain from offering such programmes that are not allowed to be offered through distance mode by respective apex body/ies.
vii) MHRD directions prohibiting B.E./ B.Tech through Distance mode vide its letter dated 29/07/2009 shall be adhered to strictly (copy at UGC website).
viii) The eligibility conditions for admissions will be as per UGC/AICTE norms.
ix) The minimum duration of a programme offered in ODL mode should not be less than the minimum duration of similar programme offered through the regular mode.
x) The University has at least one full time faculty member exclusively for coordinating each programme at the headquarters.
xi) The territorial jurisdiction in respect of Universities for offering programmes through distance mode will be as per the policy of UGC on territorial jurisdiction and opening of off campuses/centres/study centres as mentioned in the UGC notification No.F.27-

S K Mishra

1/2012(CPP-II), dated 27th June 2013, a copy of which is also posted in the UGC website www.ugc.ac.in/deb. In respect of standalone Institutions (other than the Universities), the territorial jurisdiction will be headquarters.

xii) Franchising arrangement for offering programmes in distance mode in any form is not allowed.

3. The Institution's management of the distance education programmes will be open for review and inspection by the UGC. The academic norms of the programmes shall be under monitoring by the concerned regulatory authorities.

4. Before launching the programme/s, the Institution shall submit an affidavit within 30 days from date of issue of this letter that it agrees to and will abide by all terms and conditions contained in letter referred to in para 1 above and the terms and conditions laid down in para 2 above. In case the UGC does not receive the affidavit within 30 days from the date of issue of this letter, the approval accorded to your Institution will be liable to be withdrawn. It may also be noted that:

i) If the institution fails to comply with the conditions of recognition or if it is found conducting affairs in a manner that leads to deterioration of academic standards, the UGC may withdraw its recognition.

ii) In case any information, documentary evidence submitted/produced by the University is found to be false or fake at a later stage, the recognition of University shall be withdrawn and the University concerned shall be solely responsible for the career of the students enrolled.

5. Your university is required to send along with the affidavit, a list of programmes (approved by the statutory bodies) that are on offer through distance mode currently, duly authenticated by the Registrar.

Yours faithfully,

S K Mishra

(S.K. Mishra)
Dy. Director

Copy to:

1) The Registrar, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU), Shantipuram, Phaphamau, Allahabad-211 013
2) The Principal Secretary, Higher Education, Govt. Of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow
3) The Member Secretary, AICTE, 7th floor, Chanderlok building, Janpath, New Delhi 110001
4) Shri Praveen Prakash, Joint Secretary (TEL), MHRD, Govt of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
5) Concerned file
6) Master file
7) Publication Officer (Web), UGC for updating website.

95

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Distance Education Bureau
DEC building, IGNOU Campus, Maidan Garhi, New Delhi 110068
Telephone: 011-29572635, 29533340

1423 – 1426

F.No. UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09
Date: August 20, 2013
29

To,

The Vice Chancellor
Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU)
Shantipuram,
Phaphamau,
Allahabad – 211 013
Uttar Pradesh

Sub.: Continuation of recognition to Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU) - reg.,

Sir/Madam,

1. Reference is invited to DEC letter F.No. DEC/Recog/2010/2284, dated 04.08.2010 vide which your University was accorded recognition for offering programmes through distance mode for a period of three academic years i.e. 2010-11 to 2012-13 as per decision of erstwhile Distance Education Council.
2. Attention in this regard is also invited to Notification F.No.1-4/2013 (CPP-II), dated 17th June 2013 of University Grants Commission with regard to transfer of regulatory functions of the Open and Distance Learning (ODL) system from Indira Gandhi National Open University (IGNOU) to UGC (copy enclosed). In pursuance of the same, your request for continuation of recognition was considered by the competent authority and it has been decided by the Commission to grant continuance of recognition for the academic year 2013-14 to offer the programmes through ODL mode as indicated earlier in the DEC letter F.No. DEC/Recog/2010/2284, dated 04.08.2010 (copy enclosed).
3. The above recognition is subject to the following terms and conditions:
   i) The University shall offer only the above referred programmes through distance mode, which are approved by the UGC as above.
   ii) It is the responsibility of the University/Institution to follow the norms prescribed by the concerned regulatory body/ies such as UGC/AICTE/any other, and also seek its/their prior approval, wherever required, for any specific programme mentioned above. Nomenclature of all programmes should be as per UGC/AICTE. No teacher training programmes can be offered without prior approval of the NCTE even for distance mode.

S K Mishra

1/3

81

3. Shri Anant Kumar Singh, Joint Secretary, MHRD, Govt of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Concerned file
5. Master file
6. Webmaster for updating website

S K Mishra

02

3/

No. 3-1/2012-NER
Govt. of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated:- 04.06.2014

To

I. Vice-Chancellors of all Universities
II. Chairman, AICTE
III. Chairman, UGC
IV. Education Secretaries of all States/UTs

Sub:- Concession for the wards of Kashmiri migrants for admission during academics session 2014-15-Reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 3-1/2012-NER dated 7th March, 2013, regarding provision of certain concessions for the wards of Kashmiri migrants in the matter of their admission to the educational institutions in other parts of the country during the academic session 2013-14. As Kashmiri migrants continue to face hardships, it would be necessary to provide concessions to their wards for their admission during the coming academic session also.

2. It is, therefore, requested to kindly provide the following concessions to the Kashmiri migrants in the matter of their admission in your institutions during the academic session 2014-15.

(i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
(ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.
(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.
(iv) Waiving off domicile requirements.

Yours faithfully,

(Anil Gairola)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy for similar action to:
(i) AS (Tech.)
(ii) JS (HE)
(iii) JS (CU)

Copy to:
Ministry of Home Affairs {(JS (K)}, North Block, New Delhi

Spc Post

भारतीय पुनर्वास परिषद
भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधि
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empow
Department of Disability Affairs

T. D. DHARIYAL
MEMBER SECRETARY

सत्यनत — 87

D.O No. 10-102/OU/2007/RCI 1186

16 August, 2013

Sub: Request to launch Online/ Distance mode Foundation Course on Education of Children with Disabilities & Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD) under your University-regarding

Dear Prof. (Dr.) A.K.Bakshi

As you know, Rehabilitation Council of India (RCI), constituted under an Act of Parliament has been entrusted with the responsibility to regulate & monitor the training programmes for development of human resources in the field of Special Education and Rehabilitation in the country. The Council has developed and standardized various training programmes from Certificate to Doctorate level which are operational at 476 RCI approved training institutions/Universities.

2. The Council had also launched Foundation Course on Education of Children with Disabilities and Foundation Course on Education of Children with Learning Disabilities through distance Education mode & online mode for in-service teachers. The objective of the programme is to give basic knowledge and insight into various disability related issues to enable general teachers to cater to the specific educational needs of Children with Disabilities under mainstream education set up. As the distance mode alone is not able to meet the requirement of the entire country, the Council decided to launch the programme online also in September, 2011.

3. Duration of the programme is 90 days. While distance mode programme has 21 days face-to-face contact programme, in the Online mode programme, the learners are required to undergo 12 days skill training programme instead of 21 days face-to-face contact programme. The course is being conducted by RCI approved 234 training institutions under some of the Open Universities through distance mode. State wise list of 710 RCI approved institutions which are expected to have the necessary infrastructure & facilities to conduct the said course is enclosed. The

4. The Council has received a number of requests from State Project Directors, SSA & Mission Directors, Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan (RMSA) for establishing more Study Centres for training their in-service teachers as the gap between the requirement of trained teachers and the existing capacity is huge.

5. In view of the above and Clause no. 7 of the MoU signed between RCI and your University, I request you to conduct the FCED/FCELD courses of 90 days duration in distance mode as well as online under your University at the RCI approved Study centres within the State with the permission of RCI.

6. RCI would be happy to provide any additional information and extend all possible support to your esteemed University in launching the Online/distance mode Foundation course preferably w.e.f. Spetember,2013.Decision taken in the matter may please be intimated to us at the earliest. (A copy of each of the programme guide of both the programmes is also enclosed for your ready reference. These are also available in our website www.rehabcouncil.nic.in .

With regards,

Yours sincerely,

(T.D. Dhariyal)
Member Secretary

Encl: As stated above.

Prof. (Dr.) A.K.Bakshi,
Vice- Chancellor,
U.P.Rajarshi tandan Open University,
17, Maharashi Dayanand Marg, 9, Thornhill Road,
Allahabad-211001, Uttar Pradesh.

Dr. S. P. Gupta
21/8/13

Dr. P.K. Pandey
BoS, Academic Council के लिए प्रस्ताव तैयार करें।
31.8.2013

कुलपति जी ने वार्ता हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये
31/8/2013

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016
B-22, Qutub Institutional Area, New Delhi - 110 016
Ph.: 91-011-2653 2387, 2653 2408, 2653 4287 Fax: 91-011-2653 4291
E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in, rehcouncil_delhi@bol.net.in
Website : www.rehabcouncil.nic.in

Please Recycle

संलग्नक-09

शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्टाफ मीटिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 09.10.2013, समय 11.00 पूर्वान्ह
स्थान – निदेशक कक्ष, शिक्षा विद्याशाखा

उपस्थित सदस्य–
1. प्रो० एस०पी० गुप्ता (अध्यक्ष)
2. डॉ० पी०के० पाण्डेय (सदस्य)
3. डॉ० दिनेश सिंह (सदस्य)
4. डॉ० रंजना श्रीवास्तव (सदस्य)
5. डॉ० शैलेश कुमार यादव (सदस्य)
6. डॉ० अवधेश कुमार सोनकर (सदस्य)

निर्धारित समय एवं स्थान में शिक्षा विद्याशाखा की स्टाफ मीटिंग आहूत हुई। सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रो० एस०पी० गुप्ता ने सभी सदस्यों (प्राध्यापकों) का स्वागत किया एवं सभी को आर०सी०आई० के पत्र संख्या डी०ओ० नं. 10 102/ओ०यू०/2007/आई०सी०आई० 1156 दिनांक 16.अगस्त 2013 से अवगत कराया। तदोपरान्त प्रो० गुप्ता ने उक्त पत्र के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम एफ०सी०ई०डी० एवं एफ०सी०ई०एल०डी० के पूर्व में तैयार प्रस्ताव को सदस्यों के सम्मुख विचार विमर्श हेतु रखा। शिक्षा विद्याशाखा के समस्त प्राध्यापकों ने उक्त प्रस्ताव पर गहनता से विचार विमर्श किया तथा कतिपय संशोधन प्रस्तुत किये। तत्पश्चात विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव संस्तुत किये –

1. संशोधन के उपरान्त सभी सदस्यों ने शिक्षा विद्याशाखा के अन्तर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रम एफ०सी०ई०डी० एवं एफ०सी०ई०एल०डी० के संलग्न प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया तथा उक्त प्रस्ताव को बोर्ड आफ स्टडीज में प्रस्तुत करने की संस्तुति की।
2. समस्त सदस्यों ने यह भी संस्तुत की कि बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आर०सी०आई० के एक प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाये, जिससे प्रस्तावित किये जा रहे कार्यक्रमों की संरचना में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

SPGupta
प्रो० (एस०पी० गुप्ता)

9.10.13
डॉ० (पी०के० पाण्डेय)

डॉ० (दिनेश सिंह)

रंजना श्रीवास्तव
डॉ० (रंजना श्रीवास्तव)

9/10/13
डॉ०(शैलेश कुमार यादव)

डॉ०(अवधेश सोनकर)

कुलसचिव,
कृपया कुलपति जी से अनुमोदन कराना चाहें। जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
9/10/2013

मा० कुलपति जी
कृपया अनुमोदन करना चाहें।

85

SCHOOL OF EDUCATION, UPRTOU, ALLAHABAD

Programme Structure of

Foundation Course on Education of Children with Disability

PROGRAMME DETAILS

1. **Programme Name** : **Foundation Course on Education of Children with Disability**

2. **Programme Duration** : **Minimum** - 3 Months
(Jan – March; May – July; Sept- November)
Maximum - 1Year
Every enrolled candidate may avail a maximum of Three chances within one year of his/her enrollment for appearing in the terminal examination. In case the candidate is unable to complete his/her programme with in one year he/she has to take a fresh admission if he/she wishes to do the programme.

ADMISSION PROCESS

3. **Eligibility** : Intermediate or equivalent examination pass individuals

4. **Reservation** : As per U.P. Government Rules

5. **Programme Fee** : Rs. 1500=00

6. **Examination Fee** : Rs 500=00

7. **Admission Procedure** : On the basis of percentage of Marks in the intermediate examination, Admission will be made at the approved study centres by the Programme Coordinator. At each RCI approved study centre a maximum of 40 students may be admitted in a batch. However the admission process at the study centre will be coordinated by the School of Education.

PROGRAMME STRUCTURE

8. **Courses** : There will be following Two papers in the Foundation Course on Education of Children with Disability as given below. A candidate has to complete a theory paper of 8 credits and get a Practical Training in Inclusive Education of 8 credits i.e. he has to complete 16 credits course work in all.

SNo.	Paper Code	Paper Name	Credits	Internal	External
1	FCED-01	Education of Children with Disability	8	30%	70%
2	FCED-02	Practical Training in Inclusive Education	8	30%	70%

9/10/13

86

The details of the various Units in these two Papers are given below. Each paper will be of 100 marks.

Paper	Components
1. Education of Children with Disability	Block 1: Introduction of Disability and Inclusive Education
	Block 2: Early Identification , Assessment and Intervention
	Block 3: Education of Children with Disability
	Block 4: Assistive Devices and Therapies
2. Practical Training in Inclusive Education	Unit 1: Case Work on Identification and Assessment
	Unit 2: Observation of Inclusive Education
	Unit 3: Practical Training on Assistive and Augmentative Devices and Methods
	Unit 4: Community Work
	Unit 5: Practice Teaching

9. Medium : Hindi and English only, as per availability of SLM

10. Counselling Class : Maximum number of candidates in a counselling class will be 40 candidates. Twenty hours counseling classes will be provided for theory paper and twenty hours Practical Training in Inclusive Education will be provided at the study centre.

11. SLM The SLM developed by the RCI / IGNOU will be used for the programme. However later on the SLM may be developed by the UPRTOU, Allahabad as per local needs and experiences.

EXAMINATION

12. Internal Assessment :

(i) In the first Paper of Theory Component four assignments, one for each of the four blocks will be given to the learners. There will be five short answered questions of 3 marks each and three long answer questions of 5 marks each in each assignment. All questions will be compulsory. The average marks obtained in the four assignments will be the marks for internal assessment.

(ii) In Paper Two of practical training paper 30 marks will be for Practical Records. Their will be five components of Practical Training and each component will carry a weight of Six marks.

13. External Assessment :

(i) In the first Paper of Theory Component the Terminal Examination of 70 marks will be held at the study centre. The paper will be divided into two sections. Section A will contain nine short answer questions out of which an examinee will answer any five questions; each question will be of five marks. Section B will contain five long answer questions out of which an examinee will answer any three

09/10/13

87

questions; each question will be of fifteen marks.

(ii) In Paper Two of practical training the Terminal Examination of 70 marks will be held at the study centre. in which beside practical work in five components of Practical Training a viva voce examination will be held.

14. Passing Marks:	:	36% marks separately in the Internal and the External assessments in each of the Two papers.
15. Division	:	I Division - 60% or above of the aggregates marks. II Division - 48% or above but below 60% of the aggregates marks. III Division - 36% or above but below 48% of the aggregates marks

PAYMENT TO STUDY CENTRES

16. Honorarium to Coordinator, Class III and Class IV Staff	:	Rs. 200=00 per candidate
17. Academic Counsellors	:	Rs. 300=00 per counseling hour
18. Practical Trainer	:	Rs. 300=00 per hour
19. All other expenses including contingencies	:	Rs.100=00 per counselling hour

Note- Payment for conducting the examination will be made as per U P Government rules

SCHOOL OF EDUCATION, UPRTOU, ALLAHABAD
Programme Structure of
Foundation Course on Education of Children with Learning Disability

PROGRAMME DETAILS

1. **Programme Name** : **Foundation Course on Education of Children with Learning Disability**

2. **Programme Duration** : **Minimum** - 3 Months
(Jan – March; May – July; Sept- November)
Maximum - 1Year
Every enrolled candidate may avail a maximum of Three chances within one year of his/her enrollment for appearing in the terminal examination. In case the candidate is unable to complete his/her programme with in one year he/she has to take a fresh admission if he/she wishes to do the programme.

ADMISSION PROCESS

3. **Eligibility** : Intermediate or equivalent examination pass individuals

4. **Reservation** : As per U.P. Government Rules

5. **Programme Fee** : Rs. 1500=00

6. **Examination Fee** : Rs 500=00

7. **Admission Procedure** : On the basis of percentage of Marks in the intermediate examination, Admission will be made at the approved study centres by the Programme Coordinator. At each RCI approved study centre a maximum of 40 students may be admitted in a batch. However the admission process at the study centre will be coordinated by the School of Education.

PROGRAMME STRUCTURE

8. **Courses** : There will be following Two papers in the Foundation Course on Education of Children with Disability as given below. A candidate has to complete a theory paper of 8 credits and get a Practical Training in Inclusive Education of 8 credits i.e, he has to complete 16 credits course work in all.

SNo.	Paper Code	Paper Name	Credits	Internal	External
1	FCELD-01	Education of Children with Disability	8	30%	70%

09/10/13 89 9/10/13

2	FCELD-02	Practical Training in the field of Learning Disability	8	30%	70%

The details of the various Units in these two Papers are given below. Each paper will be of 100 marks.

Paper	Components
1. Education of Children with Learning Disability	Block 1: Introduction to Learning Disabilities
	Block 2: Identification and Screening
	Block 3: Teaching Strategies
	Block 4: Support System for Education Learning Disabilities
2. Practical Training in the field of Learning Disability	Unit 1: Development and Implementation of Screening Check List
	Unit 2: Development of Curricular based Assessment (CBA) Tool for a Child with Learning Disability
	Unit 3: Planning and Implementing Lessons
	Unit 4: Demonstrating teaching Strategies in Academic Skills – Reading, Writing and Mathematics
	Unit 5: Preparation of a Behavior Modification Plan for a Child with Learning Disability

9. Medium : Hindi and English only, as per availability of SLM

10. Counselling Class : Maximum number of candidates in a counselling class will be 40 candidates. Twenty hours counseling classes will be provided for theory paper and twenty hours Practical Training in Inclusive Education will be provided at the study centre.

11. SLM

The SLM developed by the RCI / IGNOU will be used for the programme. However later on the SLM may be developed by the UPRTOU, Allahabad as per local needs and experiences.

EXAMINATION

12. Internal Assessment :

(iii) In the first Paper of Theory Component four assignments, one for each of the four blocks will be given to the learners. There will be five short answered questions of 3 marks each and three long answer questions of 5 marks each in each assignment. All questions will be compulsory. The average marks obtained in the four assignments will be the marks for internal assessment.

(iv) In Paper Two of practical training paper 30 marks will be for Practical Records. Their will be five components of Practical Training and each component will carry a weight of Six marks.

13. External Assessment :

(iii) In the first Paper of Theory Component the Terminal Examination of 70 marks will be held at

the study centre. The paper will be divided into two sections. Section A will contain nine short answer questions out of which an examinee will answer any five questions; each question will be of five marks. Section B will contain five long answer questions out of which an examinee will answer any three questions; each question will be of fifteen marks.

(iv) In Paper Two of practical training the Terminal Examination of 70 marks will be held at the study centre. in which beside practical work in five components of Practical Training a viva voce examination will be held.

14. Passing Marks: : 36% marks separately in the Internal and the External assessments in each of the Two papers.

15. Division : I Division - 60% or above of the aggregates marks.
II Division - 48% or above but below 60% of the aggregates marks.
III Division - 36% or above but below 48% of the aggregates marks

PAYMENT TO STUDY CENTRES

16. Honorarium to Coordinator, Class III and Class IV Staff : Rs. 200=00 per candidate

17. Academic Counsellors : Rs. 300=00 per counselling hour

18. Practical Trainer : Rs. 300=00 per hour

19. All other expenses including contingencies : Rs.100=00 per counseling hour

Note- Payment for conducting the examination will be made as per U P Government rules

सं०का०व० 10

कार्यवृत्त

आज दिनांक 11.07.2013 को अपरान्ह 02:30 बजे समाज विज्ञान विद्याशाखा में डॉ. एम.एन. सिंह की अध्यक्षता में स्कूल बोर्ड (समाज शास्त्र, समाज कार्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास) की बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1	डॉ. एम.एन. सिंह	निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा	अध्यक्ष
2	डॉ. इति तिवारी	एसो. प्रोफेसर, समाज शास्त्र	सदस्य
3	डॉ. संतोषा कुमार	उपाचार्य, इतिहास	सदस्य
4	डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव	शैक्षणिक परामर्शदाता, राजनीति शास्त्र	आमंत्रित सदस्य
5	डॉ. ए.पी. सिंह	शैक्षणिक परामर्शदाता, राजनीति शास्त्र	आमंत्रित सदस्य
6	श्री. रमेश चन्द्र यादव	शैक्षणिक परामर्शदाता, समाज शास्त्र	आमंत्रित सदस्य
7	डॉ. अल्का वर्मा	शैक्षणिक परामर्शदाता, समाज कार्य	आमंत्रित सदस्य

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये –

1 आज दिनांक 11.07.2013 को सम्पन्न समाज विज्ञान विद्याशाखा की 'स्कूल बोर्ड' की आहूत बैठक में 'गाँधी विचार एवं अध्ययन' PGDGTS एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विषय के अर्न्तगत सत्र 2014–15 से संचालित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

2 समाज विज्ञान विद्याशाखा के अर्न्तगत आने वाले समाज शास्त्र, समाजकार्य, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषय में होने वाले लेखन कार्य के संपादन हेतु विषय विशेषज्ञों के नाम को स्कूल बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान की गई। जिसकी सूची संलग्न है।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव (आमंत्रित सदस्य) | डॉ. ए.पी. सिंह (आमंत्रित सदस्य) | श्री रमेश चन्द्र यादव (आमंत्रित सदस्य) 11-07-13 | डॉ. अल्का वर्मा (आमंत्रित सदस्य)

Iti Tiwari 11-7-2013 डॉ. इति तिवारी (सदस्य) | डॉ. संतोषा कुमार (सदस्य) 11.7.13 | डॉ. एम.एन. सिंह (अध्यक्ष) 11-7-13

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर कम से कम छात्र संख्या 60 हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी का विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियन्त्रक की सहायता के लिए कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों में एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।

अनुलग्नक – I

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन - पत्र

1. नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थाई पता .....
4. विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि / सत्र .....
5. नामांकन संख्या
6. पाठ्यक्रम / कोर्स का नाम .....
7. अन्तिम परीक्षा माह / वर्ष .....
8. परीक्षाफल .....
   (अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न करें)
9. अध्ययन केन्द्र का नाम .....
10. विश्वविद्यालय/संस्था का नाम जहाँ .....
    प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जमा किया जाना है।
11. प्रव्रजन प्रमाम-पत्र शुल्क रु. 150/- का ड्राफ्ट संख्या .....दिनांक .....
    बैंक का नाम .....संलग्न करें।
    (ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के पद नाम से बनाया जाना है)

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

दिनांक .....

उपरोक्त ड्राफ्ट प्राप्त किया

लेखा विभाग

प्राप्ति रसीद

नाम कार्यक्रम .....

नामांकन संख्या .....से प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

दिनांक : .....

94

हस्ताक्षर .....

स्वाध्याय स्वमन्थन स्वावलम्बन

संलग्नक-13

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

सत्र : अगस्त 2003 - जुलाई 2004

SPECIMEN COPY

17, महर्षि दयानन्द मार्ग (थार्नहिल रोड), इलाहाबाद - 211001

परीक्षा शुल्क का विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम	परीक्षा शुल्क (रुपये में)
1.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक स्तर (कला, वाणिज्य, पर्यटन तथा विज्ञान)	450/-
2.	स्नातकोत्तर उपाधि	550/-
3.	डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कोर्स (कम्प्यूटर के अतिरिक्त)	350/-
4.	एकल विषय में स्नातक कला	300/-
5.	सर्टिफिकेट कोर्स	250/-
6.	कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स	550/-
7.	कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स	400/-
8.	वोकेशनल कोर्स	500/-
9.	बी.सी.ए.	650/-
10.	बैक प्रश्न-पत्र (प्रति प्रश्न पत्र)	150/-
	अन्य शुल्क	
1.	पाठ्य क्रम परिवर्तन शुल्क	500/-
2.	विषय परिवर्तन	300/-
3.	परिचय-पत्र की द्वितीय प्रति	100/-
4.	अंक तालिका की द्वितीय प्रति	100/-
5.	माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए शुल्क	150/-
6.	छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए शुल्क	200/-
7.	उपाधि शुल्क	100/-
8.	प्रोविजनल प्रमाण-पत्र शुल्क	50/-

नोट : (1) ऐसे परीक्षार्थी, जो परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें अगली परीक्षा में बैठने हेतु नियमानुसार परीक्षा फार्म शुल्क सहित जमा करना होगा।

(2) परीक्षा आरम्भ होने के एक माह के अन्दर यदि आवेदन-पत्र चिकित्सीय प्रमाण सहित केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त होता है तो उसका परीक्षा शुल्क अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित कर दिया जायेगा जिसकी सूचना पत्र द्वारा उसे दी जाएगी। अगली परीक्षा हेतु परीक्षार्थी परीक्षा फार्म के साथ इस पत्र को नत्थी करेगा।

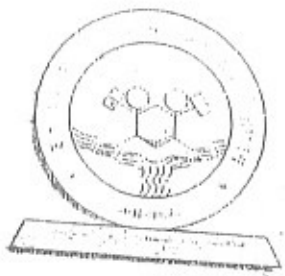

संलग्नक-14

प्रवेश

विवरणिका

सत्र - 2004-05

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड)
इलाहाबाद - 211001

7.1 इस विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों को प्रत्येक कार्यक्रम की निर्धारित न्यूनतम अवधि से अधिकतम अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण करने की सुविधा प्रदान की गयी है। प्रत्येक सत्र में परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित होती हैं। कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए शिक्षार्थी को उस कार्यक्रम हेतु निर्धारित सभी पाठ्यक्रमों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

7.2 प्रमाणपत्र कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षार्थी को सत्रीय कार्य (अधिन्यास) दिया जाता है, जिसे शिक्षार्थी तैयार कर प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अपने केन्द्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि कोई शिक्षार्थी अपना अधिन्यास निर्धारित अवधि में नहीं जमा करता तो उसे उस सेमेस्टर में उस पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अधिन्यास के मूल्यांकन के प्राप्तांक का तीस प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के सत्तर प्रतिशत अंक में जोड़ कर परीक्षाफल घोषित किया जाता है। शिक्षार्थी को सत्रीय कार्य एवं सत्रांत परीक्षा (लिखित परीक्षा) में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

7.3 प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा फार्म भरना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षार्थी किसी परीक्षा के लिये फार्म नहीं भरता है तो उसे उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस विवरणिका के साथ परीक्षा फार्म संलग्न है।

7.4 परीक्षार्थी द्वारा जमा परीक्षा शुल्क उस सत्र में आयोजित होने वाले दोनों चरणों की परीक्षाओं के लिए ही अनुमन्य होगा जिसका उल्लेख परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फार्म में करना अनिवार्य है।

7.5 यदि परीक्षार्थी ने परीक्षा फार्म भरा है और परीक्षा हेतु अर्ह है किन्तु अपने निजी किसी कारण से पूर्ण परीक्षा अथवा आंशिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे पुनः पूरी अथवा अवशेष, जैसी स्थिति हो, के लिए परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरना होगा और परीक्षा शुल्क पुनः जमा करना होगा। सत्रीय कार्य (अधिन्यास कार्य) भी नियमानुसार पूरा करना होगा।

7.6 यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा हेतु फार्म भरता है और बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो उसके द्वारा जमा परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु सुरक्षित नहीं किया जायेगा।

7.7 परीक्षार्थी की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा (scrutiny) की जा सकती है बशर्ते परीक्षार्थी इसके लिए 100/- (एक सौ रुपये मात्र) प्रति प्रश्नपत्र की दर से संवीक्षा शुल्क के साथ परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक माह के अन्दर संवीक्षा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। संवीक्षा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा।

7.8 किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने की स्थिति में अंक सुधार हेतु पुनः परीक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

7.9 परीक्षा केन्द्र के आवंटन का अधिकार विश्वविद्याय में सुरक्षित है यदि परीक्षार्थी का अध्ययन केन्द्र परीक्षाकेन्द्र घोषित नहीं हुआ है तो विश्वविद्यालय परीक्षार्थी को कोई परीक्षा केन्द्र आबंटित कर सकता है। एक बार परीक्षा केन्द्र आबंटित होने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

7.10 विशेष परिस्थिति में यदि परीक्षार्थी कारण इंगित करते हुए परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 दिन पूर्व 500/- रुपये शुल्क के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रार्थनापत्र देता है तो परीक्षाकेन्द्र बदलने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह होगा कि जिस केन्द्र पर वह परीक्षा देना चाहता है वहाँ सम्बन्धित कार्यक्रम उपलब्ध हो।

7.11 घोषित परीक्षाफल एवं निर्गत अंकतालिका में भिन्नता होने की दशा में विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया विनिश्चय ही मान्य होगा।

2.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था

(1) इस विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को अलग से परीक्षा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों से कार्यक्रम शुल्क के साथ ही परीक्षा शुल्क भी ले लिया जाता है। बैक प्रश्न पत्र के लिए शिक्षार्थियों को अलग से परीक्षा फार्म भरना होगा और उसे प्रति प्रश्न पत्र 300/– रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद' के नाम देय हो, जमा करना होगा।

1	बैक फीस	300 रूपया	प्रति प्रश्न पत्र
2	संवीक्षा शुल्क	100 रूपया	प्रति प्रश्न–पत्र
3	कार्यक्रम शुल्क	प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क	वर्तमान प्रवेश सत्र के लिए ही लागू सत्र में कार्यक्रम पूर्ण न करने पर पुनः परीक्षा देने हेतु 300/– प्रति प्रश्न पत्र की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट से देय होगा।
4.	अंक सुधार	—	कोई प्रावधान नहीं है।
5.	अनुत्तीर्ण छात्र	300 रू0 प्रति प्रश्न पत्र	बैक शिक्षार्थी माना जायेगा।
6.	सेमेस्टर परीक्षा एवं वार्षिक प्रणाली को पूर्ण रूपेण छोड़ देने की स्थिति में	300 रूपया प्रति प्रश्न पत्र	बैक शिक्षार्थी माना जायेगा।
7.	बैक शिक्षार्थी	300 रू0 प्रति प्रश्न पत्र	बैक फार्म भरना अनिवार्य
8.	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	750/– रूपया	परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व परीक्षा कार्यालय को प्राप्त करना अनिवार्य।
9.	सैमेस्टर प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा	—	जुलाई सत्र– 15 दिसम्बर एवं 15 मई। जनवरी सत्र –15 मई तथा 15 दिसम्बर
10	वार्षिक प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा तिथि	—	जुलाई सत्र– 15 मई जनवरी सत्र – 15 दिसम्बर
11	अधिन्यास कार्य	—	स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा एवं नॉन क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों में अनिवार्य अन्य कार्यक्रमों में आवश्यक नहीं।

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम्, (सेक्टर–एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद–211013

दिनांक 20.05.13

यू.एफ.एम. समिति की बैठक

आज दिनांक 20.05.13 को यू.एफ.एम. समिति की बैठक हुई, बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए–

1. प्रो. एच.के.शर्मा राजनीति शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. प्रो. जे.एन. पाल प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. पी.पी. दुबे, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. मुकेश कुमार, सहा. आचार्य/ओ.एस.डी. परीक्षा, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. डॉ. उपेन्द्र नाथ तिवारी, प्रवक्ता/ओ.एस.डी. परीक्षा, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

बैठक में सदस्यों ने सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय 6 छात्र अनुशासन धारा 5 (XX) के अधीन ख (10) के आधार पर निम्न आधारों की अनुशंसा की–

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान सत्र निरस्त एवं अगला सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

सदस्यों द्वारा गत वर्ष की यू.एफ.एम. समिति की बैठक में निर्णय के आधार का अवलोकन किया। इस वर्ष के लिए इन्ही आधारों को स्वीकार किया गया। सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2012 में कुल 21 छात्र अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़े गये। सभी पकड़े गये छात्रों को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा गया। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों की कॉपियाँ मूल्यांकित कराई गयी तथा विशेषज्ञों द्वारा तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

समिति के समक्ष अनुचित साधन प्रयोग करने वाले प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण, विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट एवं छात्र की उत्तर पुस्तिका (संम्बन्धित दस्तावेजो सहित) प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये–

लिखने की अनुमति दी जा सकती है, उत्तर पुस्तिका जिसमें अनुचित साधन प्रयोग का संदेह हो, अधीक्षक द्वारा अभिमोहित कर ली जायेगी, जो दोनों पुस्तिकाओं को अपनी रिपोर्ट सहित कुलसचिव को भेजेगा।

(8) अनुचित साधन इस्तेमाल के सभी अभिकथित मामले परीक्षा समिति को सन्दर्भित किये जायेंगे।

(9) परीक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय कुलपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) परीक्षा समिति यह संस्तुति कर सकता है कि :

(i) उस सत्र की परीक्षा अथवा प्रश्न-पत्र, जिसके संबंध में अभ्यर्थी ने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है निरस्त कर दिया जाय।

(ii) उस सत्र की परीक्षा अथवा प्रश्न-पत्र अथवा सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अभ्यर्थी ने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दिया जाय।

(iii) अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दी जाय तथा अगले एक वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

(iv) अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दी जाय तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

2.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था

इस विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को अलग से परीक्षा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों से कार्यक्रम शुल्क के साथ ही परीक्षा शुल्क भी ले लिया जाता है। बैक प्रश्न पत्र के लिए परीक्षार्थियों को अलग से परीक्षा फार्म भरना होगा और उसे प्रति प्रश्न पत्र 300/– रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट 'वित्त अधिकारी, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद' के नाम देय हो, जमा करना होगा।

1	बैक फीस	300 रूपया	प्रति प्रश्न पत्र
2	समीक्षा शुल्क	100 रूपया	प्रति प्रश्न–पत्र
3	कार्यक्रम शुल्क	प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क	वर्तमान प्रवेश सत्र के लिए ही लागू सत्र में कार्यक्रम पूर्ण न करने पर पुनः परीक्षा देने हेतु 300/– प्रति प्रश्न पत्र की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट से देय होगा।
4.	अंक सुधार	—	कोई प्रावधान नहीं है।
5.	अनुत्तीर्ण छात्र	300 रू0 प्रति प्रश्न पत्र	बैक शिक्षार्थी माना जायेगा।
6.	सेमेस्टर परीक्षा एवं वार्षिक प्रणाली को पूर्ण रूपेण छोड़ देने की स्थिति में	300 रूपया प्रति प्रश्न पत्र	बैक शिक्षार्थी माना जायेगा।
7.	बैक शिक्षार्थी	300 रू0 प्रति प्रश्न पत्र	बैक फार्म भरना अनिवार्य
8.	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	750/– रूपया	परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व परीक्षा कार्यालय को प्राप्त करना अनिवार्य।
9.	सेमेस्टर प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा	—	जुलाई सत्र– 15 दिसम्बर एवं 15 मई। जनवरी सत्र –15 मई तथा 15 दिसम्बर
10	वार्षिक प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा तिथि	—	जुलाई सत्र– 15 मई जनवरी सत्र – 15 दिसम्बर
11	अधिन्यास कार्य	—	स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा एवं नॉन क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों में अनिवार्य अन्य कार्यक्रमों में आवश्यक नहीं।

3.13.2 अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन

शिक्षार्थी को केन्द्र चयन में सुविधा दी गयी है इसलिए शिक्षार्थी द्वारा चयनित केन्द्र में परिवर्तन की मांग सामान्यतया स्वीकार नहीं की जायेगी। अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों यथा स्थानान्तरण, चिकित्सीय कारण एवं छात्राओं के विवाह होने अथवा किसी तर्क संगत कारण होने पर ही विचारणीय होगा।

जुलाई सत्र के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन 30 अक्टूबर एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन 30 मार्च तक ही अनुमन्य होंगे। अध्ययन केन्द्र परिवर्तन के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क रू. 750/– मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा अग्रसारित होने पर ही स्वीकार होगा। विशेष परिस्थिति में अध्ययन केन्द्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय कुलपतिजी बिना अग्रसारित आवेदन पत्र पर आदेश दे सकते हैं।

संलग्नक-17

परीक्षा सत्र जून–2013 हेतु गठित परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा जून–2013 की परीक्षा उपरान्त अनियमितता करने वाले परीक्षा केन्द्रों के सन्दर्भ में की गयी समीक्षा के कार्यवृत्त पर विचार।

परीक्षा सत्र जून–2013 की परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकायें विलम्ब से उपलब्ध कराये जाने वाले परीक्षा केन्द्रो के सन्दर्भ में गठित परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवृत्त परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या.50-51)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार करते हुए केन्द्र निर्धारण समिति के बैठक की कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय लिया :

(i) कार्यवृत के बिन्दु संख्या–01 में वर्णित परीक्षा केन्द्रों को एक वर्ष (**Dec-2013** व **Jun-2014** की परीक्षा) के लिए **Debar** किया जाय एवं तदनुसार उनको पत्र प्रेषित किया जाय।

(ii) कार्यवृत के बिन्दु संख्या–02 में वर्णित परीक्षा केन्द्रों **C-086, C-105,** व **C-211** के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रो को एक परीक्षा सत्र **Dec –13** के लिये **Debar** किया जाय।

(iii) कार्यवृत के बिन्दु संख्या–03 में वर्णित परीक्षा केन्द्रों को तीन वर्षों के लिये **Debar** किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.06

परीक्षा जून–2013 के परीक्षा केन्द्र (S-129) कृषक पी. जी. कालेज, कोइरियापार ,मऊ द्वारा की गयी अनियमितता पर विचार।

परीक्षा केन्द्र S-129 कृषक पी. जी. कालेज, कोइरियापार, मऊ द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अध्ययन केन्द्रो के अतिरिक्त अन्य अध्ययन केन्द्रो के परीक्षार्थीयों की परीक्षा जून–2013 में विश्वविद्यालय के बिना अनुमति से सम्पादित करायी गयी थी जो एक अनियमितता है। इस सम्बन्ध में केन्द्र से स्पष्टीकरण माँगा गया। केन्द्र द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण में परीक्षा नियंत्रक पर आरोप लगाया गया है। अतः प्रकरण परीक्षा समिति के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत है। (संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या 42-50)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

(i) परीक्षा केन्द्र **S-129** कृषक पी. जी. कालेज, कोइरियापार, मऊ को **Black List** करते हुये अध्ययन केन्द्र व परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से हमेशा के लिये **Debar** किया जाय।

(ii) अध्ययन केन्द्र **S-398** बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरिफपुर मण्डनपुर आजमगढ़ के जितने परिक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र **S-129** पर परीक्षा दिया गया है उन सभी परिक्षार्थियों के उनकी सम्बन्धित प्रश्नपत्रों की परीक्षा निरस्त कर दिया जाय।

(iii) "परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित लिखित आदेश के बिना असम्बद्ध अध्ययन केन्द्रो की परीक्षा अपने परीक्षा केन्द्रो पर न करायें" इस आशय का पत्र समस्त परीक्षा केन्द्रो पर प्रेषित किया जाय।

(iv) परीक्षा केन्द्र ने दिनांक 12–08–2013 को फैक्स द्वारा प्रेषित अपने स्पष्टीकरण पत्र में परीक्षा नियंत्रक पर आरोप लगाते हुए पत्र में जिस प्रकार अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है प्रो0 एस पी गुप्ता द्वारा परीक्षा समिति के समक्ष पत्र पढ़ने के पश्चात् उनके प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से इसकी कड़े शब्दों में निन्दा की गयी। (संलग्नक....उक्तवत्)

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.07

परीक्षा जून–2013 के परीक्षा केन्द्र (C–703) डिफेन्स कालेज आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया के सन्दर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) देवरिया द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर विचार।

जून–2013 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र S–703 डिफेन्स कालेज आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमैन्ट, देवरिया पर परीक्षार्थियों के पास अनुचित सामग्री पाये जाने की शिकायत के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया की आख्या/प्रतिवेदन प्राप्त हुई है जो परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है। (संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 21-25)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति न सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित केन्द्र को भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय एव इसके अध्ययन केन्द्र को भी निरस्त किया जाय। इस निर्णय से जिलाधिकारी/एस. डी. एम. सदर/जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को अवगत कराया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 15.08

परीक्षा समिति की दिनांक 17 अप्रैल 2013 को सम्पन्न 14वीं बैठक के निम्न बिन्दुओं पर पुनः विचार।

(iii) BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र (S-187) राम लगन महाविद्यालय, जमालपुर, मिर्जापुर, घोसी, मऊ द्वारा उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध न कराये जाने एवं सम्बन्धित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के दृष्टिगत अनियमितता करने के प्रकरण पर पूर्व में हुये निर्णय के लागु होने पर जिज्ञासा व्यक्त की गयी।परीक्षा नियंत्रक के जवाब के अनुसार परीक्षा केन्द्र निरस्तीकरण से सम्बन्धित निर्णय परीक्षा विभाग के माध्यम से केन्द्र को सूचित किया जा सकता है परन्तु अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित निर्णय प्रशासन अनुभाग द्वारा ही लागू किया जा सकता है इस आशय की पत्रावली प्रशासन अनुभाग में प्रेषित है, कुलसचिव के अनुसार इस समय वह पत्रावली का अवलोकन कर रहे हैं। परीक्षा समिति ने पुनः इस आशय की संस्तुति की कि इस केन्द्र को अध्ययन व परीक्षा केन्द्र दोनों से Debar करने एवं जनवरी 2014 तक स्थगित रखने का स्पष्ट आशय उल्लिखित करते हुए केन्द्र को पत्र प्रेषित किया जाय।

(iv) MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के प्रकरण पर विचार।

प्रकरण में परीक्षा समिति द्वारा पिछली बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2013 में निम्न संस्तुति की गयी है :

परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि छात्रा द्वारा परीक्षा सत्र जून–2012 में MAEN–07 के साथ दिये गये अन्य प्रश्न पत्र के अंको के अधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया जाय। साथ ही अध्ययन केन्द्र को कारण बताओ नोटिस देते हुये परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

परीक्षा समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के दिनांक 17 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त पर पुनः चर्चा की गयी।

परीक्षा समिति ने (S-051) ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद केन्द्र को दो वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाने एवं केन्द्र को सूचित किये जाने का निर्णय लिया।

परीक्षा जून–2013 के निरस्त हुये परीक्षा केन्द्रों का विवरण

1. उड़ाका दल के आख्या पर निरस्त परीक्षा केन्द्र –

केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	निरस्तीकरण का विवरण	परीक्षा समिति का निर्णय
C-017	बी.आर. डी. कालेज, देवरिया	परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 14–06–2013 को द्वितीय पाली की परीक्षा में उड़ाका दल के औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार केन्द्राध्यक्ष अनुपस्थित थे। परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक थी एवं समन्वयक का कार्य व्यवहार संदिग्ध था।	अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-075	दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महिला पी. जी. कालेज, देवरिया	परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 14–06–2013 को प्रथम पाली की परीक्षा में उड़ाका दल के औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार केन्द्राध्यक्ष व समन्वयक अनुपस्थित थे।	अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-085	कालीचरण डिग्री कालेज, हरदोई रोड लखनऊ	परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 08–06–2013 को द्वितीय पाली की परीक्षा में उड़ाका दल के औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार केन्द्राध्यक्ष व समन्वयक अनुपस्थित थे एवं परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक थी।	अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
	छत्रपति शाहू जी		
C-225	महाराज महाविद्यालय, ग्रा0 व पो0 नरैना (अगरहुडा) चित्रकूट 210205	केन्द्र पर दिनांक 19–06–2013 को उड़ाका दल द्वारा औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक एवं गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी।	अगले तीन वर्षो तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

C-397	प्रयाग महाविद्यालयशिवमंगल नगर, हेतापट्टी इलाहाबाद	केन्द्र पर दिनांक 12–06–2013 को उड़ाका दल द्वारा औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक एवं गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी।	अगले तीन वर्षो तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-703	डिफेन्स कालेज,आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट,देवरिया	केन्द्र पर दिनांक 14–06–2013 को प्रथम पाली की परीक्षा में उड़ाका दल के औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक थी। परीक्षार्थी स्वअध्ययन सामग्री से नकल करते पाये गये थे। जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20–06–2013 को भी परीक्षा केन्द्र पर द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों के पास अनुचित सामग्री पाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई।	विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

109

परीक्षा जून–2013 के निरस्त हुये परीक्षा केन्द्रों का विवरण

2. उत्तर पुस्तिका विलम्ब से प्रेषित करने पर निरस्त परीक्षा केन्द्र –

केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	निरस्तीकरण का विवरण	परीक्षा समिति का निर्णय
C-001	धर्म समाज कालेज, अलीगढ	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-004	श्री मुरली मनोहर टाउनपी.जी. कालेज, बलिया	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-018	जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी. जी. कालेज,महाराजगंज	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-021	आई पी.कालेज बुलन्दशहर	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-025	शिव हर्ष किसान पी. जी. कालेज, बस्ती	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-033	नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-086	उपरदहा डिग्री कालेज,उपरदहा (बरौत) इलाहाबाद	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

C-105	गाँधी शान्ति निकेतन डिग्री कालेज, जसरा,इलाहाबाद	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-106	मोती लाल नेहरू डिग्री कालेज,कौंधियारा, इलाहाबाद	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-189	गौतम बुद्धमहाविद्यालय,फूल पुर, इलाहाबाद	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-211	शुकदेवप्रसादत्रिपाठी महाविद्यालय, ग्रा0वपो0—भठहीखुर्द फाजिलनगर, कुशीनगर 274401	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-520	दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-VNS	सुधाकर महिला पी. जी. कालेज वाराणसी	परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब किया गया जो कि परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करता है।	अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

परीक्षा जून–2013 के निरस्त हुये परीक्षा केन्द्रों का विवरण

3. अन्य कारण से निरस्त केन्द्र –

केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	निरस्तीकरण का विवरण	परीक्षा समिति का निर्णय
C-051	ईश्वर शरण डिग्री कालेज इलाहाबाद	परीक्षा केन्द्र S-051 ईश्वर शरण डिग्री कालेज इलाहाबाद पर सम्पन्न MAEN-07 पेपर के परीक्षा दी। सुश्री स्तुति सिंह की उत्तर पुस्तिका संख्या 684650 केन्द्र से विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुई थी जबकि समस्त साक्ष्य छात्रा के पक्ष में थे। परीक्षा केन्द्र अस्पस्ट जवाब देता रहा।	अगले दो वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-129	कृषक महाविद्यालय कोइरियापार, मऊ	अध्ययन केन्द्र S-398 बद्री प्रसाद महाविद्यालय आरिफपुर मण्डनपुर, आजमगढ़ के परीक्षार्थियों की परीक्षा अपने ही केन्द्र पर बिना पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये सम्पन्न करायी गयी थी।	विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
C-187	रामलगन महाविद्यालय जमालपुरमिजापुर घोसी, मऊ	परीक्षा केन्द्र S-187 रामलगन महाविद्यालय जमालपुर मिर्जापुर घोसी, मऊ पर सम्पन्न BCA -01 पेपर के परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें केन्द्र से विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुई थी। इस कोर्स की परीक्षार्थी सुश्री उदिता शंकर ओझा द्वारा अपना परीक्षा फल घोषित कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी। जिसका सन्दर्भ देते हुए परीक्षा केन्द्र से स्पष्ट आख्या मांगी गयी थी परन्तु संन्तोषजनक उत्तर नही दिया गया। इसी प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उसी सत्र के अन्य परीक्षार्थियों ने भी मा0 उच्च न्यायालय में अपील की जिसमें विश्वविद्यालय को विषम स्थितिओं का सामना करना पड़ा।	विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शान्तिपुरम, सेक्ट–एफ
फाफामऊ, इलाहाबाद–211013
कार्यवृत्त

कृषि विज्ञान, विज्ञान एवं स्वास्थय विज्ञान विद्याशाखाओं के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 25.06.2013 को अपराह्न 3:00 बजे सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहें:–

1. डॉ. पी. पी. दुबे
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा — अध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. डॉ. श्रुति
   असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. डॉ. मीरा पाल
   असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थय विज्ञान विद्याशाखा — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता
   शैक्षणिक परामर्शदाता (रसायन विज्ञान) — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (आमंत्रित)
5. श्री प्रतीक केसरवानी
   शैक्षणिक परामर्शदाता (कम्पयूटर विज्ञान) — सदस्य
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (आमंत्रित)

बैठक के प्रारम्भ में डॉ पी. पी. दुबे ने अध्यक्षता करते हुये सभी सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक को आगे बढ़ाया।

25/6/13

25/6/13

25/6/13

25/6/13

113

बैठक में UGZY-03 तथा UGBY-03 के विषय विशेषज्ञों की बैठक क्रमशः दिनांक 07/06/2013 एवं 17/06/2013 की संस्तुतियों को स्वीकार्यता प्रदान की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

25.6.13
(डॉ. पी. पी. दुबे)

25/06/13
(डॉ. श्रुति)

25/6/13
(डॉ. (श्रीमती) मीरा पाल)

25/6/13
(डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता)

25/6/13
(श्री प्रतीक केसरवानी)

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शान्तिपुरम, सेक्टर–एफ फाफामऊ, इलाहाबाद – 211013

कार्यवृत्त

विज्ञान विद्याशाखा में "जन्तु विज्ञान" विषय के प्रश्न–पत्र –03 (UGZY–03) की परीक्षा सैद्धान्तिक हो या प्रयोगात्मक इस विषय पर माननीय कुलपति जी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक आज दिनांक 07.06.2013 को प्रातः 11:00 बजे निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा/प्रभारी विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय
2. प्रो. अनीता गोपेश, प्रो., जन्तु विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. डॉ. उमा रानी अग्रवाल, आ.प्रो.जन्तु विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद
4. डॉ. श्रुति असिस्टेंट प्रोफेसर, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. जी.के. द्विवेदी, प्रवेश प्रभारी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (आमंत्रित सदस्य)

विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्न संस्तुतियाँ की गई–

इस विषय पर गहन विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से इस प्रश्न पत्र में प्रयोगात्मक परीक्षा की संस्तुति की गई। UGZY–03 में UGZY–01 एवं UGZY–02 पर आधारित प्रयोगात्मक कार्य समाहित है। चूकि यह प्रयोगात्मक परीक्षा होगी अतः अधिन्यास लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

07.06.2013

(डॉ. पी.पी. दुबे)

(प्रो. अनीता गोपेश)

(डॉ. उमा रानी अग्रवाल)

(डॉ. श्रुति)

(डॉ. जी.के. द्विवेदी)
(आमंत्रित सदस्य)

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शान्तिपुरम, सेक्टर–एफ फाफामऊ, इलाहाबाद – 211013

कार्यवृत्त

विज्ञान विद्याशाखा में " वनस्पति विज्ञान" विषय के प्रश्न–पत्र –03 (UGBY–03) की परीक्षा सैद्धान्तिक हो या प्रयोगात्मक इस विषय पर माननीय कुलपति जी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक आज दिनांक 17.06.2013 को प्रातः 11:00 बजे निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा/प्रभारी विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय
2. डॉ. सत्य नारायण, असो.प्रो., वनस्पति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. डॉ. अमिता पाण्डेय, असिस्टेंट प्रो., वनस्पति विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद
4. डॉ. श्रुति असिस्टेंट प्रो., उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. जी.के. द्विवेदी, प्रवेश प्रभारी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (आमंत्रित सदस्य)

विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्न संस्तुतियाँ की गई–

इस विषय पर गहन विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से इस प्रश्न पत्र में प्रयोगात्मक परीक्षा की संस्तुति की गई। UGBY–03 में UGBY–01 एवं UGBY–02 पर आधारित प्रयोगात्मक कार्य समाहित है। चूंकि यह प्रयोगात्मक परीक्षा होगी अतः अधिन्यास लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

17.06.2013

(डॉ. पी.पी. दुबे)

(डॉ. सत्य नारायण)

(डॉ. अमिता पाण्डेय)

(डॉ. श्रुति)

(डॉ. जी.के. द्विवेदी)
(आमंत्रित सदस्य)

टोल फ्री नम्बर - Toll Free No - 1800 1800 3
फोन एवं फैक्स- Phone & Fax: (0522) 2330288, 2323860, 407

सलग्नक-20

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

(राज्य कार्यालय : उत्तर प्रदेश State Office : Uttar Pradesh)

5वीं मंजिल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच', अलीगंज, लखनऊ-226 024 उ.प्र.

5th Floor, Kendriya Bhawan, Sector 'H', Aliganj, Lucknow-226 024, U.P.

सं0 6/40/2014-सा0

सेवा में,

दिनांक 11.04.14

कुलसचिव,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
शान्तिपुरम, सेक्टर-एफ,
फाफामऊ, इलाहाबाद,
उ0प्र0

विषयः-जातीय भेदभाव के कारण विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडल से वंचित करने के संबंध में - श्री गंगेश कुमा पुत्र श्री राजपति, एनआईपीएस 8/22 द्वारिकापुरी कालोनी, म्योर रोड, इलाहाबाद से प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष, रा0 अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार को सम्बोधित श्री गंगेश कुमार पुत्र श्री राजपति से प्राप्त अभ्यावेदन की संलग्न प्रतिलिपि का संदर्भ ग्रहण करें। अभ्यावेदन के अवलोकन से अनुसूचित जाति के छात्र के उत्पीड़न का आभास होता है। आयोग ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर एक तथ्यात्मक आख्य दिनांक 30.04.2014 तक आयोग में भिजवाने की कृपा करें, ताकि वस्तुस्थिति से माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जा सकें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11.4.14
(तरुण खन्ना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. श्री गंगेश कुमार पुत्र श्री राजपति, एनआईपीएस 8/22 द्वारिकापुरी कालोनी, म्योर रोड, इलाहाबाद।

(तरुण खन्ना)
सहायक निदेशक

21.4.14

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और आपसे आशा की जाती है कि आप अनुबंधित समय के भीतर उत्तर दें, अन्यथा आयोग इस मामले को निपटाने में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने को बाध्य होगा।
National Commission For Scheduled Castes is a Constitutional Authority. You are expected to respond within stipulated time, failing which Commission will be constrained to invoke Constitutional powers to deal with the matter.

संलग्नक -21

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ
इलाहाबाद - 211 013

परीक्षा नियन्त्रक

दूरभाष : 2447038 (O)

पत्रांक : ओ. यू./परीक्षा/ 1239/2014 दिनांक : 18/07/2014

सेवा में,

श्री तरूण खन्ना,
सहायक निदेशक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
5वीं मंजिल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर "एच", अलीगंज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश
पिन कोड - 226024

विषयः—जातीय भेदभाव के कारण विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडल से वंचित करने के सम्बन्ध में - श्री गंगेश कुमार पुत्र श्री राजपति, एनआईपीएस - 8/22 द्वारिकापुरी कालोनी, म्योर रोड, इलाहाबाद से प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय,

आपके पत्रांक - 6/40/2014 - सा. दिनांक 11/04/2014, जो विश्वविद्यालय में दिनांक 19/04/2014 को प्राप्त हुआ, के साथ संलग्न, श्री गंगेश कुमार के अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नवत है -

1. 8 फरवरी 2014 को आयोजित हुये अष्टम दीक्षान्त समारोह में MCA कार्यक्रम की परीक्षा जून - 2013 में उत्तीर्ण होने, दिसम्बर 2012/जून 2013 परीक्षा में इस कार्यक्रम में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने तथा कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा के समस्त उत्तीर्ण स्नातकोत्तर शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शिक्षार्थी श्रीमती प्रियंका राय को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा का विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। श्रीमती प्रियंका राय ने MCA कार्यक्रम की परीक्षा में 75.72 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।
2. MCA कार्यक्रम की छात्रा श्रीमती प्रियंका राय के 75.72 प्रतिशत अंक है, जबकि श्री गंगेश कुमार के 75.47 प्रतिशत अंक हैं, जो कि श्रीमती राय से कम है। इसलिए श्रीमती प्रियंक राय को अष्टम दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा का विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया गया है।

O/C

उपर्युक्त/अग्रलिखित तथ्यो से स्पष्ट है कि श्री गंगेश कुमार का प्राप्तांक प्रतिशत, जिस छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है उससे कम है। जिसके कारण उन्हें स्वर्ण पदक नहीं दिया जा सका न कि जातीय भेदभाव के कारण।

जन सूचना अधिकार अधिनियम सम्बन्धी श्री गंगेश कुमार के प्रार्थना पत्रों (संलग्नक – 01 व 03) के सापेक्ष क्रमशः विश्वविद्यालय के पत्रांकः ओ.यू./परीक्षा/2360/2014 दिनांक 31/03/2014 (संलग्नक – 02) व ओ.यू./परीक्षा/193/2014 दिनांक 22/04/2014 (संलग्नक – 04) द्वारा सूचनाऐ दी जा चुकी है।

कृपया उक्त से अवगत होते हुए सम्बन्धित शिकायत को निस्तारित/निक्षेपित करने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ. (पी. पी. दूबे)
परीक्षा नियंत्रक